स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–23, अंक–1, पौष–माघ 2071, जनवरी 2015

संपादक
विक्रम उपाध्याय

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी
दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

आवरण कथा – पृष्ठ–6

स्वदेशी जागरण मंच ने भुवनेश्वर में आयोजित अपनी 12वीं राष्ट्रीय सभा में प्रस्ताव पारित कर सरकार से मांग की गई है कि विदेशी कंपनियों को आमंत्रण बन्द किया जाए। मंच ने यह भी कहा है कि मेक इन इंडिया का नारा वास्तव में विदेशी कंपनियों को आह्वान देने जैसा है।

अ नु क्र म

आवरण कथा
स्वदेशी जागरण मंच ने सरकार से कहा
विदेशी कंपनियों को आमंत्रण बन्द करो /6

पारित प्रस्ताव
12वीं राष्ट्रीय सभा के पारित प्रस्ताव /11–15

उपलब्धि
अंतरिक्ष बाजार में बड़ी छलांग
– निरंकार सिंह /16

सामयिकी
सेज के नाम पर उपजाऊ भूमि की लूट
– अरविन्द जयतिलक /19

कृषि
कृषि भयावह संकट के दौर में
– देविन्दर शर्मा /21

अर्थव्यवस्था
रोजगार गारंटी के विकल्प
– डॉ. भरत झुनझुनवाला /23

दृष्टिकोण
कोयला नहीं सौर ऊर्जा है भविष्य
– डॉ. अश्विनी महाजन /25

पर्यावरण
धरती को गर्म होने से बचाने पर सहमति
– प्रमोद भार्गव /27

आतंकवाद
नाकाम देश की डगर पर पाकिस्तान
– ब्रह्मा चेलानी /29

मुद्दा
कचरे को कम करने और निबटान का प्रबंधन हो
– पंकज चतुर्वेदी /31

पेटेंट
पेटेंट की जंग में पिछड़ रहे है हम
– अभिषेक कुमार सिंह /33

पाठकनामा/4, समाचार परिक्रमा/35, रपट/38

पाठकनामा

फिल्म जगत ध्रुवीकरण की राह पर तो नहीं?

पिछले कई दिनों से देश में एक फिल्म को लेकर मीडिया में बहस छीड़ी हुई है। इस बहस में फिल्म के पक्ष में फिल्म की हो रही कमाई को और दूसरी तरफ विपक्ष में फिल्म के खिलाफ हो रहे विरोध को रखा जा रहा है। क्या आज के समय में किसी फिल्म के अच्छे या बुरे होने का पैमाना उस फिल्म को हो रही कमाई के आधार पर तय किया जाना चाहिए? आज हर व्यक्ति जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की चाह रखता है और इस चाहत को पूरा करने के लिए कुछ लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आज व्यक्ति की पहचान जल्दी से जल्दी पैसा कमाने का बहुत बड़ा जरिया बना हुआ है और इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है मीडिया। लालच से भरे लोग मीडिया में लम्बे समय तक बने रहने के लिए नकारात्मक छवि का सहारा भी लेते हैं। पिछले कुछ समय में बहुत से कार्यक्रमों को भी नकारात्मक छवि के सहारे मीडिया में काफी लम्बे समय तक बनाए रखा गया। इसी प्रकार फिल्म जगत के हर निर्माता निर्देशक और अभिनेता अपनी फिल्म से ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए तरह तरह के प्रचार करते हैं। फिल्म के प्रचार के लिए टीवी शॉ में जाना, देश के विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों से मिलना और फिल्म देखने के लिए प्रेरित करना आदि। फिल्म के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए सकारात्मक व नकारात्मक प्रचार का सहारा लिया जाता है। इस विवादित फिल्म को कैसे सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया यह भी आश्चर्यजनक है! जैसाकि सभी को मालूम है देश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है इसी कड़ी में सेंसर बोर्ड पर पहले भी पैसे लेकर फिल्म को स्वीकृति के आरोप लग चुके हैं। वहीं एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में छपी खबर के अनुसार सेंसर बोर्ड के एक सदस्य सतीश कल्याणकर ने इस फिल्म के लिए भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

मेरा पहला सवाल है कि मीडिया चुनावों के समय एक शब्द का इस्तेमाल करती हैं ध्रुवीकरण जिसका प्रयोग नेता एक तरफ के वोट बटोरने के लिए करते हैं कहीं फिल्म जगत भी यही ध्रुवीकरण का सहारा तो नहीं ले रहा? अगर आज वाकई में फिल्म निर्माता और अभिनेता समाज सेवा करने के पक्षधर हैं तो अपनी मोटी कमाई का कुछ हिस्सा समाज को समर्पित क्यों नहीं कर देते?

-- manojkarora84@gmail.com

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

"धर्मक्षेत्र" शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 15

आजीवन सदस्यता शुल्क:15,00 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित क र ।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

उन्होंने कहा

अगर हिंदू खतरे में आएगा तो देश खतरे में आएगा।

– मोहन भागवत जी
सरसंघचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

देश को बदलने में भागीदार बनें प्रवासी भारतीय।

– सुषमा स्वराज

मलेशिया जैसे मुस्लिम देश में भी राम मंदिर है। अगर हिन्दुस्तान में राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहां बनेगा।

– चौधरी मुनव्वर सलीम

पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न देना राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं को पूर्ण मान्यता देना है। अद्भुत अध्येता तथा स्वतंत्रता सेनानी मालवीय ने राष्ट्रीय चेतना की चिंगारी जलाई। अटल जी हम सबके लिए मार्गदर्शक, प्रेरक और बड़े अर्थ रखते हैं। भारत में उनका योगदान अमूल्य है।

– नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

बेहद चिंताजनक है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज के नाम पर बड़ी–बड़ी कंपनियों ने कृषि योग्य जमीनों की लूटपाट मचा रखी है।

– अरविन्द जयतिलक

सरकार की नीयत पर स्वदेशी जागरण मंच को कोई शंका नहीं है। हालांकि इस सरकार में देश भक्त एवं राष्ट्रवादी लोग हैं। यह सरकार भी देशवासियों का भला चाहती है। लेकिन हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस सरकार की नीतियां गलत है।

– कृष्णचन्द्र मिश्र
भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय सचिव

l iknd h;

आर्थिक फैसलों में तात्कालिक समस्याओं का भी हो समाधान

वर्ष 2014 देश के लिए राजनीतिक रूप से एक मील का पत्थर साबित हुआ, पर आर्थिक उपलब्धियों के हिसाब से ऐसा मानना जोखिम भरा हो सकता है। हां यह जरूर कहा जा सकता हैं कि पूर्व में जहां देश में एक निराशा का माहौल था, वहां भविष्य में उत्साह और उम्मीद की किरण जरूर दिख रही है। पिछले एक दो वर्ष में हमारी विकास दर लगभग पांच फीसदी के आस पास रही हैं जिसका मुख्य कारण वैश्विक स्तर पर छाई मंदी है।' जाहिर हैं इस वर्ष के शुरूआत से ही भारत की अर्थव्यवस्था पर जबर्दस्त दबाव था। लेकिन इस वर्ष के अंत होते होते निराशा के बादल छटने लगे हैं अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने का फायदा सबसे अधिक भारत को ही मिला है। न सिर्फ तेल कंपनियों के घाटे की भरपाई हुई है, बल्कि उपभोक्ताओं को भी पेट्रोलियम उत्पादों के खरीद पर 30 फीसदी तक राहत मिली है। आम आदमी के लिए एक सुखद खबर यह भी रही कि मुद्रा स्फीति या महंगाई की दर पूरी तरह काबू में आ गई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई है और विकास की रफ्तार फिर से लौट आई है। हकीकत तो यह है कि उद्योग क्षेत्र में मुर्दनी छायी हुई है, निर्माण क्षेत्र में विकास नकारात्मक है। कृषि विकास दर में भी कमी है और रोजगार के लाले अब भी पड़े हैं। हालात ये हैं कि लोगों के खाने के लाले पड़ने लगे हैं। निर्माण क्षेत्र में भारी मंदी के कारण मजदूरों के लिए मरन्नासन स्थिति हो गई है। महंगाई आकड़ों में कम दिख रही है पर बाजार में अनाज दूध और सब्जियों के भाव आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हैं। आर्थिक सुधार की ताबड़तोड़ घोषणाओं के बावजूद धरातल पर कोई परिणाम नहीं निकल पाया। यूपीए के शासनकाल में जो आर्थिक दुश्वारियां खड़ी हुईं उनसे निपटने की चुनौती मोदी सरकार को विरासत में मिली। मई में सरकार बनाते ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी पहली प्राथमिकता पूंजी का प्रवाह देश में बढ़ाना है। ताबड़तोड़ विदेशी दौरे के साथ ही उन्होंने कुछ ऐसे क्षेत्र भी विदेशी निवेश के लिए खोल दिए, जिनको लेकर स्वदेशी जागरण मंच का विरोध है। बीमा और रक्षा क्षेत्र उनमें प्रमुख हैं। वाजपेयी की तरह मोदी भी ढांचागत क्षेत्र में निजी निवेश के जरिए विकास का पहिया घुमाना चाहते हैं पर यहां भी चुनौती कम नहीं है। सड़क क्षेत्र के लिए पीपीपी मॉडल का प्रयास विफल हो चुका है। सरकार चाहती है कि ढ़ाचागत परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण आसान बनाया जाए ताकि निजी क्षेत्र को आकर्षित किया जा सके पर विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार के सहयोग के लिए तैयार नहीं हुई और इसके लिए भी आखिर में अध्यादेश ही लाया गया। पर यह अध्यादेश सरकार के लिए एक अलग चुनौती भी खड़ी कर सकती है। विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर अपनी खोई जमीन तलाशने का अवसर मान रहा है। समस्या सब्सिडी को लेकर भी है। हालांकि डीजल पर सब्सिडी खत्म कर मोदी सरकार ने तथाकथित सुधार के कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं, साथ ही खाद, मनरेगा और खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जारी सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने पर भी विचार विमर्श ही हो रहा है। कोयला ब्लॉक व स्पेक्ट्रम नीलामी भी अब नये साल में ही संभव है. राजनीकि समस्याओं के बावजूद मोदी सरकार ने वर्ष 2014 में आर्थिक मोर्चें पर कुछ बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। आर्थिक मोर्चे पर सरकार ने जीएसटी पर लगभग सभी राज्यों को मना लिया। पिछले कई वर्षों से जीएसटी लागू करने का मामला लटका पड़ा था। अप्रैल 2016 से लागू करने को प्रतिबद्ध सरकार इस मामले में संविधान संशोधन विधेयक लाने से भले ही चूक गई पर इस मामले में राज्यों की सहमति बना लेने से सरकार की साख जरूर बढ़ी है। इस वर्ष के अंत होते होते कुछ नई शुरुआतों की खबर आने लगी है। अर्नेस्ट यंग जैसी अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां भारत को निवेश के लिहाज से स्थिर व लाभप्रद बता रही हैं। जिसका असर भारतीय शेयर बाजार पर दिख रहा हैं। लगभग 28 हजार का बीएसई और 8500 का निफ्टी अच्छे दिनों का संकेत माना जा रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का आकलन है कि चालू वित वर्ष में जीडीपी में ग्रोथ 5.3 फीसदी और वर्ष 2015—16 में 6 फीसदी से अधिक होगी। यह भी कहा जा रहा है कि फरवरी तक रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कमी करेगा, जिससे सस्ते कर्ज की उपलब्धता बढ जाएगी जिसका अच्छा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यह भी उम्मीद है कि थोक वस्तुओं के मूल्य सूचकांक 0 फीसदी पर आने के बाद खुदरा खाद्य पदार्थों के मूल्य सूचकांक में भी कमी आएगी यानी मुद्रा स्फीति की दर और नीचे आएगी और फरवरी तक यह संतुलित हो जाएगी। पर दिसंबर जनवरी में ही सब्जियों के दाम रूलाने लगे हैं। भले ही आकड़ों में यह तथ्य सामने न आया हो पर हकीकत है कि जीवन यापन दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। कमाई के अवसर संकुचित हो रहे हैं और लोग अपनी जरूरतों के लिए कर्ज के लिए विवश हो रहे है। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद भी किसानों की आत्महत्या अच्छे दिनों के संकेत नहीं है। सरकार यदि दस साल की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कुछ वृहद नीति यानी मैक्रो पॉलिसी पर काम कर रही है तो जरूरत इस बात की भी है, तत्काल राहत के लिए कुछ सूक्ष्म नीति यानी माइक्रो पॉलिसी पर भी तत्काल अमल करे।

स्वदेशी जागरण मंच ने सरकार से कहा
विदेशी कंपनियों को आमंत्रण बन्द करो

स्वदेशी जागरण मंच ने भुवनेश्वर में आयोजित अपनी 12वीं राष्ट्रीय सभा में प्रस्ताव पारित कर सरकार से मांग की गई है कि विदेशी कंपनियों को आमंत्रण बन्द किया जाए। मंच ने यह भी कहा है कि मेक इन इंडिया का नारा वास्तव में विदेशी कंपनियों को आह्वान देने जैसा है। इसके अलावा अन्य तीन प्रस्ताव भी पारित किए गए है। पर्यावरण पर पारित प्रस्ताव में मंच ने पर्यावरण के बचाने हेतु स्वदेशी मॉडल अपनाने की बात कही गई है और बौद्धिक संपदा अधिकारों पर पारित प्रस्ताव में अमरीकी दबाव को दरकिनार कर देश के हितों के संरक्षण की मांग की है। कृषि पर पारित प्रस्ताव में मंच ने जीएम फसलों सहित अन्य प्रकार से खेती पर विदेशी प्रभाव समाप्त करने का आह्वान किया है।

दिनांक 26 दिसम्बर 2014 को मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरूण ओझा, मुख्य अतिथि इंडिया टूडे के संपादक श्री अंशुमन तिवारी, प्रज्ञानानन्द मिशन के अंतर्राष्ट्रीय सचिव तथा क्रियायोग (पुरी) के प्रमुख स्वामी प्रज्ञानानन्द जी महाराज, प्रख्यात शिल्पी एवं पदमविभूषण श्री रघुनाथ महापात्र (जिनके पूर्वजों ने कोणार्क मंदिर का निर्माण किया था), राष्ट्रीय सहसंयोजक गण श्री सरोज मित्र, प्रो. भगवती प्रकाश, डॉ. अश्विनी महाजन, श्री बी.एम. कुमारस्वामी, डॉ. धनपतराम अग्रवाल, अखिल भारतीय संगठक श्री कश्मीरी लाल, दीनदयाल शोध संस्थान के संगठन मंत्री श्री अभय महाजन, भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय सचिव श्री कृष्ण चन्द्र मिश्र, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री गोपाल शर्मा, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय सचिव श्री सुधीर दाते उपस्थित थे।

उद्घाटन सत्र के प्रारंभ में प्रो. भगवती प्रकाश द्वारा लिखित 'मेड बाय इंडिया' एवं 'चीनी घुसपैठ और हमारी सुरक्षा व्यवस्था', डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा लिखित 'Say no to FDI in Insurance', का विमोचन किया गया।

मुख्य अतिथि श्री प्रज्ञानानन्द जी महाराज ने ठेंगडी जी के साथ बिताए गए अपने संस्मरणों को साझा किया। पदमविभूषण श्री रघुनाथ महापात्र ने यह घोषणा करी कि वे उड़ीसा में पुनः कोणाक मंदिर का निर्माण करेंगे। प्रख्यात पत्रकार एवं अनेक आर्थिक शोध पत्रों के लेखक तथा रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित श्री अंशुमन तिवारी ने अपनी बात रखने से पूर्व संदर्भ

रखते हुए कहा कि सत्य पढ़ने अथवा प्रवचन से प्राप्त नहीं होता। वह जिसको पा लेता है, उसी को मिल जाता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र हरेक से नहीं सधता। प्राचीन काल में कोलम्बस की समुद्री यात्रा से 50 वर्ष पूर्व चीनी यात्री झेन्गे अपनी 7 समुद्री यात्राएं पूरी कर चुके थे। चीन ने इसके उपरान्त समुद्री यात्राओं पर रोक लगा दी थी। दूसरा उदाहरण अरब के देशों ने अपने यहां एक बड़े कालखंड तक प्रिंटिंग प्रेसों पर रोक लगाकर रखी। जबकि उस कालखंड में अरब में 8 हजार विद्वान उपस्थित थे। इस दोनों देशों ने अपने इन प्रतिबंधों के कारण भारी कीमत चुकाई।

उपरोक्त संदर्भों के आलोक में अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को साधते हुए मुक्त बाजार व उदार अर्थव्यवस्था प्राचीन काल से ही भारत का संस्कार है। यहां व्यापार, धर्म, संस्कृति एक दूसरे का पूरक होकर सदैव साथ चले हैं। विश्लेषण करने पर ध्यान में आता है कि जब–जब हम धार्मिक हुए तब–तब हमारी आर्थिक प्रगति में तेजी से वृद्धि हुई। हमारे अतीत की समृद्धि (सोने की चिड़िया) गहरी धार्मिक आस्था से संचालित निजी उद्यमिता (Enterprenureship) के कारण हुई। इस निजी उद्यमिता से जनित व्यापार तंत्र इतना प्रबल था कि वह राज्य को प्रभावित करता था। बाजार राजनीति एवं राज्य की छाया में विकसित न होकर धर्म की छाया में विकसित हुआ। धर्म संस्थान भी राज्य की छाया में विकसित नहीं हुए थे, अपितु राजनीति धर्म से नियंत्रित होती थी। धर्म संस्थान व बाजार अपने संसाधनों के मामले में एक दूसरे पर परस्परावलंबी थे। केरल के मंदिरों की समृद्धि इसका प्रमाण है। भारत में विनिमय बाजार व्यवस्था अंग्रेजों के आने पूर्व पूरी तरह स्थापित एवं मजबूत थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद निजी उद्यमिता को बाधित किया गया अथवा राज्य आश्रित किया गया। जिसकी भारी कीमत देश को चुकानी पड़ी। आज देश पर कुल जीडीपी का 70 प्रतिशत कर्ज है तथा 52 प्रतिशत ग्रामीण परिवार कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, ऐसा हाल ही में प्रकाशित सरकारी रिपोर्ट कह रही है।

उन्होंने कहा कि हमने खुदरा व्यापार में एफडीआई को रोका, तो वह ई–कॉमर्स के रास्ते से आ गई है। हमारे नौजवान Delivery Boys एवं Sales Girls ही बन रहे हैं। अब बाजार एफडीआई के स्थान पर एफआईआई को प्राथमिकता दे रहा है। इसका अर्थ यह है कि पूंजी के स्रोत से अधिक पूंजी का महत्व हो गया है। चाहे वह पूंजी कैसी भी क्यूं ना हो तथा कैसे भी स्रोतों से आई हो। एक जगह पर हम रोकेंगे तो वह दूसरे रास्ते से आ जायेगी। अतः इसे रोकने के स्थान पर हमें अधिक से अधिक प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाना होगा एवं छोटे उद्यमियों को असफल होने के बावजूद भी सशक्त करते रहना होगा। ताकि गली–गली में कंपनियां खड़ी हो जाएं।

श्री अरूण ओझा ने कहा कि महाकवि मैथिलीशरण गुप्त जब बोलते थे, तो उनके मुख से भारतीय दर्शन बोलता था। उन्होंने अपनी कविता में कहा है कि *''रे जन अर्जन से मुख मत मोड़ – जहां जितना मिले, उसे मत छोड़ – पर यह तो कह, किस हेतु हाय – बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय''*। श्री ओझा ने कहा कि भारतीय दर्शन शत हस्त संग्रह तथा सहस्त्र हस्त विकिर के लिए कहता है। इसमें कहीं भी धन से विरक्ति का उल्लेख नहीं किया गया है। श्री ओझा ने कहा कि इस बात का भी महत्व है कि पूंजी कहां से तथा किस स्रोत से आ रही है। उन्होंने कहा कि बौद्विक संपदा अधिकार कानून के जमाने में प्रतिस्पर्द्धा केवल छोटे को ही खत्म करती है। अतः प्रतिस्पर्द्धा केवल एक मनोरम कल्पना है, जिसमें केवल (Survival of the Fittest) शक्तिशाली की ही विजय होती है। भारत का दर्शन वास्तव में (Survival of the Weakest) सहकार का है। अतः Best will lead the Rest.

इस अवसर पर वर्ष 1993 में नागपूर में आयोजित मंच के प्रथम अधिवेशन के मुख्य वक्ता एवं सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस कृष्ण अय्यर के निधन पर श्रद्वांजलि व्यक्त की।

शिवाकाशी (तमिलनाडू) के पटाखा उद्योग के बारे में श्री श्रीधरन ने भारत सरकार से आग्रह किया कि यह उद्योग डिफेंस कम्पोनेंट भी बनाते हैं। मेक इन इंडिया नीति के अंतर्गत पटाखा उद्योग में लगे हुए उद्यमियों को यदि सहायता प्रदान की जाए तो रक्षा क्षेत्र में यह उद्योग महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। स्वदेशी जागरण मंच के प्रयासों से भारत सरकार के द्वारा चीनी पटाखों पर रोक लगाने के निर्णय का उन्होंने स्वागत किया।

पीपीपी कार्यदल के विषय में डॉ. अश्वनी महाजन ने कहा कि सिद्धांत रूप में इस मॉडल का मंच विरोध नहीं करता किन्तु इसकी आड़ में मच रही भारी लूट का हम विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में डीएनडी टोल, तथा दिल्ली एयरपोर्ट (DIAL) में भारी लूट की शिकायत आ रही है। सभी प्रांत अपने यहां ऐसे पीपीपी प्रोजेक्टस को चिन्हित करके विस्तृत जानकारियां एकत्रित करें। सभी जानकारियां शीघ्रातिशीघ्र कार्यदल को भेजें।

जी.एम. फूड – सी.एस.आई.आर. के प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ. तुषार चक्रवर्ती ने जी. एम. फसलों पर अपने विचार रखते हुए कहा कि यह जैव विविधता तथा मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए ही खतरनाक है। फसलों में जी.एम. केवल वैज्ञानिक तकनीक नही है, अपितु मुटठी भर पूंजीपतियों और विकसित देशों की प्रौद्योगिकी का राजनैतिक छल है। यह जैव विविधता को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अधिकार में लाकर भारी धन कमाने के लिए किया जा रहा है। इसके समर्थन में आई हुई सभी रिपोर्टों को ध्यान से देखने पर यह पाया गया कि ये सभी लाभार्थी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा वित्त पोषित की गई हैं। जबकि सच्चाई यह है कि इन फसलों के ट्रायल परिणामों को निष्पक्ष वैज्ञानिकों ने 20 पुस्तकों में संग्रहित करके सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि चीन में बी.टी. चावल में एक जीन बदलने से उस चावल के 680 जींस में बदलाव उत्पन्न हो गया। इन बदलावों पर वैज्ञानिकों का भी कोई नियंत्रण नही रहता। इसके नुकसान का तुरंत पता नहीं लगता बल्कि लंबी अवधि के

बाद मस्तिष्क, लीवर, किडनी आदि महत्वपूर्ण अंगों पर प्रभाव दिखाई देता है। अतः इसके लिए जनता को सावधान रहना होगा एवं सरकार को कड़े कानून बनाने होंगे।

सरकार–स्वदेशी, संबंध और भूमिका – मंच के अखिल भारतीय सहसंयोजक श्री सरोज मित्र ने इस पर चर्चा को प्रारंभ करते हुए कहा कि स्वदेशी की भूमिका केवल विरोध करने की ही नहीं है। हमें बताना होगा कि हम क्या चाहते है। उन्होंने कहा कि यह सरकार पिछली सरकार के द्वारा छोडी गई कमियों को दूर कर रही है। 10 वर्षों के कुशासन के कारण निष्क्रिय पड़ गए प्रशासन में जान फूंक रही है। यदि सरकार भटकेगी तो हम उसे राह दिखायेंगे, किंतु यह सावधानी बरतनी होगी कि यदि हम ही भटक गए तो हमें कौन राह दिखायेगा। हमें केवल बौद्विक चर्चाओं में ही नहीं उलझे रहना है, अपितु जमीन पर उतरते हुए स्वदेशी जागरण मंच को कार्यशील भी बनना है तथा विकल्प भी सुझाना है। स्वदेशी जागरण मंच का सीधा संबंध समाज से है।

इस चर्चा में अनेक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। श्री दीपक शर्मा 'प्रदीप' ने रिटेल एफ. डी.आई. जैसी आक्रमकता के साथ 'मेक इन इंडिया' का देश के उत्पादन तंत्र पर प्रभाव तथा इस योजना की तथ्यपरक जानकारियों को देश के लघु उद्यमियों के बीच ले जाने का सुझाव दिया, श्री कर्मवीर सिंह ने गन्ना किसानों की आवाज उठाई, श्री धर्मेन्द्र दुबे ने शेडो मिनिस्ट्री बनाकर सरकार के कार्य में सहयोग करने का सुझाव दिया। राष्ट्रीय सभा में विशेष रूप से अमरीका से आई डॉ. रूचिका पटेल ने भारतीय मूल्यों की ओर लौटने का आग्रह किया। उन्होंने चीनी वस्तुओं के आयात पर भारी मात्रा में कस्टम डयूटी लगाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि देश के लघु उद्यमियों को सस्ता कच्चा माल एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए जिससे दुनिया में भारतीय माल की मांग बढ़ेगी एवं हमारे यहां रोजगार बढ़ेगा।

चर्चा का समारोप करते हुए श्री सरोज मित्र ने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच की भूमिका शिकायत प्रकोष्ठ की नहीं है। देश में सरकार किसी भी दल की हो, लेकिन वह हमारी ही होती है। उसे ठीक से काम करने के लिए कहना हमारा कर्तव्य होता है। कमियों को उजागर करना एवं सुझावों को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक योजना एवं तंत्र होना चाहिए।

India Unincorporated – इस विषय पर उत्तर क्षेत्र सहसंयोजक श्री दीपक शर्मा 'प्रदीप' ने अपने विचार रखते हुए कहा कि देश में सरकारें (केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/नगर निगम/बैंक/स्वायत्त निगम एवं संस्थाएं) कुल 72 लाख लोगों को रोजगार देती है। कॉरपोरेट जगत 1 करोड़ 40 लाख लोगों को रोजगार देता है। 121 करोड़ के इस देश में शेष लोग क्या करते हैं ? उन्होंने कहा कि देश की 1 करोड़ 10 लाख दुकानें 5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करती है। देश की 3 करोड़ 57 लाख छोटी फैक्ट्रियां 8 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। शहरों में लाखों टैक्सी ऑटो तथा देश में चल रहे 63 लाख ट्रक 4 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। टैक्सेशन एवं ऑडिट के कार्य में लगे 1 लाख 60 हजार चार्टर्ड एकाउंटेंट अपने लाखों कर्मचारियों को रोजगार प्रदान कर रहे है, देश की 35 बार एशोसिएशन में कार्यरत 7.5 लाख वकील अपने लाखों कर्मचारियों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। लाखों इंजीनियर एवं आर्किटेक्ट 3 करोड़ भवन निर्माण मजदूरों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। लाखों डॉक्टर अपना क्लीनिक चलाकर कम्पाउंडरों, नर्सों एवं अन्य कर्मचारियों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। अकेले म.प्र. में तेंदू पत्ता बीनकर 30 लाख लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। देश के 7 हजार किमी. लंबे समुद्र तट पर करोड़ों मछुवारे आजीविका अर्जित कर रहे हैं, करोड़ों बुनकर, लुहार, बढ़ई, कारीगर आदि तथा कृषि से 60 प्रतिशत जनता रोजगार प्राप्त कर रही है। यह सभी रोजगार वे **अपनी पूंजी – अपनी बुद्धि – अपनी मेहनत – अपना जोखिम** के आधार पर अर्जित कर रहे हैं तथा सरकार को भी भारी मात्रा में कर देते है। लघु उद्योगों को बैंकों के द्वारा वितरित औद्योगिक ऋण का मात्र 8.39 प्रतिशत, खुदरा व्यापार में कुल निवेश का मात्र 3 प्रतिशत ही बैंकों से प्राप्त किया गया ऋण है, वर्ष 2013–14 में वितरित किए गए 8 लाख करोड़ के कृषि ऋण में से 7.5 लाख करोड़ बहुराष्ट्रीय कंपनियां ले गई एवं देश के 14 करोड़ 90 लाख किसान परिवारों के हिस्से मात्र 50 हजार करोड़ ही आया। फिर भी इन क्षेत्रों का देश की जी.डी.पी. में योगदान 45 प्रतिशत से अधिक है। यह क्षेत्र न केवल भारी मात्रा में रोजगार प्रदान कर रहा है, अपितु देश के 80 लाख साधु संत, वृंदावन जैसे अनेक धार्मिक स्थलों पर आश्रित असहाय विधवाओं एवं सड़कों पर घूम रहे 3 करोड़ लावारिस बच्चों को भी यथाशक्ति पालन–पोषण कर रहा है। केवल भगवान जगन्नाथ के मंदिर में ही प्रतिदिन 40 हजार नागरिकों एवं स्वर्ण मंदिर में हजारों नागरिकों के लिए पोष्टिक प्रसाद बनाया जाता है। ये क्षेत्र हजारों विद्यालय, चिकित्सालय, देवालय सहित अनेकों संस्थाओं का निर्माण भी करते हैं। उन्होंने सरकार से ऐसे क्षेत्रों को विभिन्न योजनाओं के द्वारा मजबूत करने पर बल दिया।

श्री आर.सुन्दरम ने कहा कि India is Unemployable. देश में 90 प्रतिशत लोग देश में अपनी क्षमता एवं कौशल के बल पर स्वरोजगार करते हैं। इन्हें बैंकों से नगण्य वित्तीय सहायता मिलती है। जबकि देश के बैंकों में जमा सर्वाधिक धन इन्हीं लोगों की छोटी–छोटी बचतों से एकत्रित होकर आती है। इन लोगों की इन्हीं बचतों को बैंक बड़े–बड़े कॉरपोरेट घरानों को न्यूनतम ब्याज दरों पर दे देते हैं। जितनी जनता को ये क्षेत्र रोजगार प्रदान करते है उसके मुकाबले 10वें हिस्से कों भी ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां रोजगार प्रदान नही करते। अतः सरकार से आहवान है कि जिन्हें असंगठित क्षेत्र कहकर उपेक्षित किया जा रहा है वास्तव में वे सही अर्थों में स्वयंसंगठित क्षेत्र है। यह क्षेत्र समाज आधारित/स्थानीय आधारित/क्लस्टर आधारित/उत्पाद आधारित/जलवायु एवं हुनर आधारित रूप से संगठित है एवं अधिकतम

श्रम आधारित होने के कारण भारी मात्रा में रोजगार प्रदान करते है। ऐसे क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

मेड बाय इंडिया – मंच के राष्ट्रीय सहसंयोजक प्रो. भगवती प्रकाश ने अपने उद्‌बोधन में मेड बाय इंडिया का उल्लेख करते हुए कहा कि 1991 में प्रारंभ किए गए उदारीकरण/वैश्विकरण ने देश की अर्थव्यवस्था को बेपटरी कर दिया है। देश आजादी से पहले की ही भांति आर्थिक गुलामी के चंगुल में फंस गया है। आज देश के उत्पादन तंत्र के 2 तिहाई हिस्से पर विदेशी कंपनियों का कब्जा हो गया। जिसके फलस्वरूप असमानता, बेजरोजगारी और गरीबी तेजी से बढ़ी है। देश केवल नीतिगत पंगुता का ही शिकार नहीं है अपितु विदेशी कंपनियां छलपूर्वक हमारी कंपनियां का अधिग्रहण कर रही है। परिवार, संस्कृति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार की मेक इन इंडिया की नीति एक नई बर्बादी का कारण बनेगी। उन्होंने इसके स्थान पर मेड बाय इंडिया की नीति का समर्थन किया। विगत 23 वर्षों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि देश के साथ विकास और तकनीक के नाम पर बार–बार धोखा हुआ है। 1998 तक देश में भारतीयों के द्वारा संचालित किए जा रहे छोटे–बड़े सीमेंट के कुल 10 हजार कारखाने थे, आज इसका 66 प्रतिशत हिस्सा मात्र 6 यूरोपीय कंपनियों (लाफार्ज, हॉल्सिम, हेंडरबर्ग आदि) ने कब्जा कर लिया। वे सीमेंट को भारत में ही मेक इन इंडिया कर रहे हैं तथा भारत में सीमेंट की बिक्री से कमाया गया धन यूरोप में जा रहा है। 95 प्रतिशत शीतल पेय, 85 प्रतिशत जुते का पॉलिस, 66 प्रतिशत स्कूटर, टेजीविजन, फ्रीज, सौन्दर्य उपकरण, टयूथपेस्ट, साबुन, चाकलेट सहित अधिकांश वस्तुओं का उत्पादन विदेशी कंपनियां ही कर रही है। चीन से किए गए 15 समझौतों में से 12 समझौतें आर्थिक हैं। इस तरीके से तो भारत का उत्पादक तंत्र सेरोगेट मदर (किराये पर कोख देने वाली मां) के रूप में बन जायेगा।

आज प्रश्न यह खड़ा हो गया है कि 5 वर्ष के बाद पूरे उत्पादन तंत्र पर किसका नियंत्रण होगा। हम कर्मचारी एवं खरीददार ही बनते जा रहे है। भविष्य में चुनावों के लिए भी राजनैतिक दलों को इन्हीं कंपनियों के चन्दे पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, अतः स्वाभाविक रूप से नीतियां भी इनके लिए ही बनेगी।

राष्ट्रीय सभा के अवसर पर एक विशाल रैली एवं जनसभा का भी आयोजन हुआ। इस अवसर पर मंच के राष्ट्रीय संयोजक अरुण ओझा, भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय सचिव श्री किश्नचन्द मिश्र, मंच की संघर्षवाहिनी प्रमुख श्री अन्नदा शंकर पाणिगृही के भाषण हुए।

श्री अन्नदाशंकर पाणीग्रही ने उडीया में अपनी बात रखते हुए कहा कि उड़ीसा के प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उड़ीसा की जनता को नहीं मिला है। पॉस्को एवं वेदान्ता जैसे कुछ बड़े कारपोरेट घराने इसका लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उड़ीसा में मोटरसाइकिल भी बिना लाईसेंस के नहीं चलाया जा सकता, वहीं दूसरी ओर उडीसा के समुद्र में 80 हजार टन लौह अयस्क लदा हुआ ऐसा समुद्री जहाज डूब गया जिसका कहीं कोई खाता बही या लाईसेंस/पंजीकरण ही नहीं था। श्री सरोज मित्र ने कहा कि उड़ीसा अमीर प्रदेश है, यहां प्रकृति ने अकूत खनिज संपदा प्रदान की है। यदि यह प्रदेश मानव कौशल एंव विज्ञान में पिछडा तथा आर्थिक रूप से गरीब होता तो कोणार्क एवं भगवान जगन्नाथ जैसे भव्य एवं समृद्व मंदिरों का निर्माण हो ही नहीं सकता था। सरकारों की नीतियों के कारण इस अमीर प्रदेश के लोग गरीब हो गए हैं।

भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय सचिव श्री कृष्णचन्द्र मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते है कि उन्हें कानून समाप्त करने में आनन्द आता है। भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधान समाप्त करने से किसानों को आवाज उठाने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। श्रम कानूनों को समाप्त करने का उन्होंने राजस्थान सरकार के द्वारा लागू किए गए श्रम कानून करते हुए कहा कि इससे 85 प्रतिशत मजदूर कानूनी संरक्षण के दायरे से बाहर हो जायेंगे। देश को ठेका प्रणाली में धकेलकर सरकार मजदूर एवं श्रमिकों को बर्बाद कर रही है। देश में मारूति की मानेसर दुर्घटना जैसी अनेकों दुर्घटनाओं के हालात निर्माण किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के आस्ट्रेलिया दौरे के दौरान जनता के हितों को अनदेखा करते हुए एक बड़े उद्योगपति के हितों की रक्षा करने पर उन्होंने घोर आपत्ति व्यक्त की। 1947 से 1991 तक देश में साम्यवादी, समाजवादी व्यवस्था चलती रही। 1991 से मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को प्रारंभ करते समय बड़े–बड़े सपने दिखाये गये। वास्तविकता यह है कि पिछले 23 वर्षों में भारत के 50 लाख लघु एवं कुटीर उद्योग बंद हो गए तथा उसमें लगे हुए लोग बेरोजगार हो गए। फलस्वरूप नक्सलवाद जीविका का नया उद्योग तथा एक अन्य राजनैतिक सुधार के नाम पर खड़ा हो गया है। नशा एवं अपराध के विनाशकारी भंवर में नवयुवकों को झोंक दिया गया है एवं नशे की बिक्री से सरकारों के राजस्व में प्रतिवर्ष भारी बढ़ोतरी हो रही है। बीमा में 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति का हम कड़ा विरोध करते है। ये जनता के प्रीमियम की राशि एकत्रित करके बहुराष्ट्रीय घरानों को सौंप देते हैं। बीमा जोकि एक निश्चित एवं सुरक्षित निवेश माना जाता था, उसे बाजार आधारित करके अनिश्चित व असुरक्षित निवेश के रूप में बना दिया गया है। अपने उद्‌बोधन में मुद्‌दा आधारित तर्क और तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए कठोरतम संसदीय भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने वर्तमान सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो भारतीय मजदूर संघ इस सरकार के विरूद्ध सड़कों पर भी उतरेगा।

सरकारी नीतियों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि जहां एक ओर स्वदेशी जागरण मंच सरकार के अच्छे कार्यों की उदारतापूर्वक सराहना करेगा वहीं दूसरी ओर जनविरोधी नीतियों की निर्ममता के साथ आलोचना करते हुए सड़कों पर भी उतरेगा। जनहित/देशहित ही सभी नीतियों का निकर्ष होगा। श्री ओझा ने कहा कि अगर एक आंकड़े को ही ले ले

तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। देश की कुल संपत्ति में से 90 प्रतिशत जनता के पास 0.2 प्रतिशत संपत्ति ही है। सरदार पटेल ने स्वतंत्रता के उपरांत 500 से अधिक रियासतों को भारत में सम्मिलित किया था। आज SEZ के रूप में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के 650 स्वायत एवं संप्रभुता अधिकार संपन्न विशेष आर्थिक क्षेत्रों की रियासतों का निर्माण किया जा रहा है। भविष्य में ये रियासतें भारत की ही स्वायतत्ता एवं संप्रभुता को चुनौती देंगे। इसके लिए जमीन लेते समय कहा गया था कि 40 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। किन्तु पिछली सरकार के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में यह वास्तविकता समाने आई कि मात्र 3 लाख लोगों को ही रोजगार प्राप्त हुआ तथा इसकी आड़ में शहरों से लगती हुई लाखों एकड़ बहुफसली कृषि भूमि किसानों से कोड़ियों के भाव हड़प ली गई।

उन्होंने कहा कि इस सरकार की नीयत पर स्वदेशी जागरण मंच को कोई शंका नहीं है। हालांकि इस सरकार में देश भक्त एवं राष्ट्रवादी लोग हैं। यह सरकार भी देशवासियों का भला चाहती है। लेकिन हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस सरकार की नीतियां गलत है। इन नीतियों को ठीक करना होगा। हम देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते।

राष्ट्रीय सभा के दूसरे दिन अन्य सत्रों के अतिरिक्त पांच समानान्तर सत्रों का भी आयोजन किया गया। जिसमें महिलाओं पर सत्र को श्री सरोज मित्र एवं अखिल भारतीय महिला प्रमुख श्रीमति रेणु पुराणिक ने संबोधित किया।

देशी चिकित्सा सत्र को अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख श्री लालजी भाई पटेल एवं डॉ. अनिल राय ने संबोधित किया।

आर्थिक विषयों के सत्र को डॉ. अश्विनी महाजन एवं डॉ. धनपतराम अग्रवाल ने संबोधित किया।

पर्यावरण विषयों के सत्र को प्रो. बी.एम. कुमारस्वामी एवं श्री भोलानाथ मिश्र ने संबोधित किया।

कृषि विषय सत्र को प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा एवं बिहार प्रांत संयोजक श्री दिलीप निराला ने संबोधित किया।

मंच के अखिल भारतीय संगठक श्री कश्मीरी लाल ने कार्यकर्ताओं से मंच को अधिकाधिक मजबूत संगठन बनाने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि यदि हम कमजोर है तो कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा। यदि हम शक्तिशाली है तो अपने संगठन की एक महिला भी कोई आवाज उठाती है तो वह सुनी जायेगी। इस सत्र में अनेक कार्यकताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने संगठन एवं मंच के विचार के विस्तार हेतु 2015 वर्ष के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों की घोषणा की–

1. सभी प्रांतों ने अपने यहां प्रांत सम्मेलन आयोजित करने है।
2. इंडिया अनइनकॉरपोरेटिड, जैव संवृद्धित फसलों, भूमि अधिग्रहण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ई–कॉमर्स, मेड बाय इंडिया, चीन का भारतीय बाजार पर आक्रमण विषयों पर अधिकाधिक स्थानों पर जनजागरण के लिए कार्यक्रम करते हुए अभियान चलाना है।
3. अधिकाधिक स्थानों पर विचार वलय प्रारंभ करने हैं। श्री अजय पत्की ने इस संबंध में विशेष रूप से आग्रह किया। इस हेतु टोली का गठन भी किया गया है।
4. केंद्रीय कार्यसमिति की आगामी बैठक दिनांक 4–5 अप्रैल 2015 को मंच के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में आयोजित की जायेगी।
5. राष्ट्रीय परिषद की आगामी बैठक दिनांक 13–14 जून 2015 को विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) में आयोजित की जायेगी।
6. 12वां राष्ट्रीय सम्मेलन राजस्थान में आयोजित किया जायेगा।

मंच के संयोजक श्री अरुण ओझा ने नई नियुक्तियों की घोषणा करते हुए श्री आर. सुन्दरम् के नाम की अखिल भारतीय सहसंयोजक के नाते घोषणा की। श्री दीपक शर्मा 'प्रदीप' को अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख का दायित्व दिया गया और श्रीमति शीला शर्माको अखिल भारतीय सह महिला प्रमुख का दायित्व दिया गया। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में विभिन्न प्रांतों के कार्यकर्ताओं के दायित्व की भी घोषणा हुई।

अपने समारोप भाषण में श्री अरूण ओझा ने कहा कि अक्टूबर 2014 में वाशिंगटन में आयोजित प्रमुख देशों के वित्तमंत्रियों एवं केन्द्रीय बैंकों के प्रमुखों की बैठक में भारतीय रिर्जव बैंक के गर्वनर श्री रघुराम राजन ने कहा कि विश्व की अर्थव्यवस्था डूब रही है। इसे बचाने के लिए केन्द्रीय बैंक जो कर सकते थे, वह उन्होंने कर लिया, किन्तु स्थितियां नहीं सभल पा रही है। अतः आप राजनेताओं को ही साहसिक पहल दिखाते हुए कुछ करना होगा।

उन्होंने कहा कि दुनिया में आवश्यकताएं खड़ी की जा रही है ताकि उनकी पूर्ति के लिए मांग को बढ़ाया जा सके। आज विकसित होने का यही मापदण्ड हो गया है कि कौन कितना अधिक उपभोग कर रहा है। इस मापदण्ड को बदलना होगा। पूरी दुनिया अर्थव्यवस्था की दुर्नीतियों के भंवर में फंस गई है। इस भंवर जाल को पश्चिमी आर्थिक दर्शन के शोषक एवं भोगवादी विचार ने गढ़ा है। आजादी के बाद से ही भारत के पराक्रम को नजरअंदाज करके नीतियां बनाई गई। इसी भ्रामक विचार में भारत सरकार भी फंसती जा रही है। स्वदेशी जागरण मंच इसका विरोध करता है। हम साकारात्मक विचारों का समर्थन करते हैं लेकिन देश हित के लिए गलत नीतियों का विरोध किया जायेगा। एफडीआई, मेक इन इंडिया, जैव संवृद्धित फसलें, भूमि अधिग्रहण ऐसी ही कुछ नीतियां है जिससे देश को भारी नुकसान होगा। इस भंवर से निकलने का सूत्र भारतीय दर्शन में ही है। स्वदेशी जागरण मंच पर इसकी जिम्मेदारी है तथा यह करने में हम समर्थ भी हैं। अतएवं यह कार्य हम अवश्य करेंगे एवं भारत सहित सम्पूर्ण मानवता को राह दिखायेंगे।

राष्ट्रीय सभा से लौटकर प्रत्येक कार्यकर्ता अपने–अपने स्थानों पर पूरी शक्ति से इस हेतु कार्यक्रम करेगा, इस हेतु भगवान हमें शक्ति प्रदान करे। बंदेमातरम् गान के साथ 12वीं राष्ट्रीय सभा संपन्न हो गई। ❑

स्वदेशी जागरण मंच की 12वीं राष्ट्रीय सभा बीते माह 26–28 दिसम्बर 2014 को भुवनेश्वर, उड़ीसा में आयोजित हुई। मंच की राष्ट्रीय संभा में चार प्रस्ताव पारित किए गए जिन्हें हम पाठकगण और कार्यकर्ताओं के लिए प्रकाशित कर रहे हैं। – सम्पादक

पारित प्रस्ताव-1

बौद्धिक संपदा अधिकारों पर अमेरिकी चेतावनी, मात्र एक दिखावा

''हमें हमारी जैव विविधता, पारंपरिक ज्ञान और लोक गीत के संरक्षण हेतु भी वर्तमान में चल रहे दोहा प्रस्तावों के कार्यान्वयन के दौरान बिना चर्चा में नए बिन्दु जोडें, मांग करनी चाहिए। भारत सरकार को नवोन्वेषण एवं सृजनात्मकता की वृद्धि हेतु इस देश के वैज्ञानिकों और कारीगरों को उचित सम्मान देते हुए शोध एवं विकास पर किए जाने वाले सरकारी खर्च को बढ़ाना चाहिए।''

विश्व की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बौद्धिक संपदा अधिकारों ने विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत सन् 1995 में TRIPS समझौता होने के पश्चात एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया है। अमेरिका की सकल आय का 35 प्रतिशत और यूरोपीय यूनियन की सकल आय का 39 प्रतिशत हिस्सा बौद्धिक सम्पदा आधारित व्यवसायों पर आधारित एवं उनसे प्राप्त होने के कारण अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के लिए यह एक गंभीर मुद्दा बन गया है। इसलिए पश्चिमी देशों की ओर से भारत सहित अन्य विकासशील देशों पर इन देशों में लागू घरेलू बौद्धिक संपदा अधिकार कानूनों में उनके हित में बदलाव करने का लगातार भारी दबाव है। वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार नीति बनाए जाने की प्रक्रिया चलने और देश में लागू पेटेन्ट कानूनों में, विशेषकर निम्न 3 या 4 मुद्दों में भारत सरकार द्वारा बदलाव न किए जाने पर बडी दवा कम्पनियों के दबाव में अमेरिका द्वारा आर्थिक प्रतिबन्धों की धमकी के वातावरण में यह मुद्दा अत्यंत सम्वेदनशील हो गया है –

(1) पेटेंट कानून, 1990 की धारा 3(डी) जिसके अन्तर्गत नोवार्टिस, स्विट्जरलैंड की औषधि के फर्जी आविष्कार की पेटेंट मान्यता रद्द की गई थी और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त प्रावधान को ज्त्प्ै समझौते के पूर्ण रूपेण अनुरूप मानते हुए मान्य किया गया था।

(2) अनिवार्य लाइसेंसिग से सम्बन्धित प्रावधान, विशेषकर 'नाटको' कम्पनी को कैन्सर की दवा के उत्पादन की अनुमति दिए जाने के कारण, क्योंकि यह दवा जर्मनी की 'बेयर' कम्पनी द्वारा अत्यंत मंहगे दामों पर बेची जा रही थी।

(3) दवाईयों से सम्बन्धित तथ्यों की गोपनीयता रखने की अवैधानिक मांग जोकि ट्रिप्स समझौते की धारा 39.3 के अन्तर्गत भारत सरकार के औषधि नियंत्रण प्राधिकरण को सार्वजनिक स्वास्थ्य और मानवीयता के आधार पर उक्त दवाईयों के परीक्षण नतीजे भारतीय जेनरिक दवा कम्पनियों के साथ साझा करने से रोकती है।

इन मुद्दों के अलावा भी भारत सरकार को भारतीय पेटेंट कानून के वर्तमान में लागू अन्य प्रावधानों जिसमें पेटेंट दिए जाने से पूर्व विरोध दर्ज करना शामिल है, के सम्बन्ध में समझौता नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार को ट्रिप्स समझौते के वर्तमान में लागू अनेक अहितकारी प्रावधानों की पूर्ण समीक्षा एवं विश्व व्यापार संगठन के सभी सम्बन्धित मंचों पर पर्यावरण एवं अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवीन टैक्नोलोजी की सुगम उपलब्धता के साथ साथ इस सम्बन्ध में पुनः चर्चा की मांग करनी चाहिए। हमें शराब आदि उत्पादों से आगे बढ कर, दार्जिलिंग चाय, बासमती चावल, टैक्सटाइल उत्पादों और भारत के बहुत सारे अन्य मूल कृषि उत्पादों की भौगोलिक पहचान के संरक्षण की विशेष मांग करनी चाहिए।

हमें हमारी जैव विविधता, पारंपरिक ज्ञान और लोक गीत के संरक्षण हेतु भी वर्तमान में चल रहे दोहा प्रस्तावों के कार्यान्वयन के दौरान बिना चर्चा में नए बिन्दु जोडें, मांग करनी चाहिए।

भारत सरकार को नवोन्वेषण एवं सृजनात्मकता की वृद्धि हेतु इस देश के वैज्ञानिकों और कारीगरों को उचित सम्मान देते हुए शोध एवं विकास पर किए जाने वाले सरकारी खर्च को बढ़ाना चाहिए। ❑

पारित प्रस्ताव-2

स्वदेशी मॉडल से ही बचेगी धरती

स्वदेशी जागरण मंच देश की राष्ट्रभक्त जनता से भी अपील करती है कि पर्यावरणीय संकट की गंभीरता को समझते हुए सरकार के पर्यावरण को बचाने में प्रयासों में न केवल सहयोग करें, बल्कि पर्यावरणीय पोषक जीवन पद्धति जैसे निजी एवं सार्वजनिक स्वच्छता, जल, बिजली, भोजन इत्यादि की न्यूनतम बर्बादी इत्यादि।

एकमात्र जीवनपोषी ग्रह पृथ्वी तेजी से विनाश की ओर बढ़ रही है। अगले पचास वर्षों या उससे कम में ही इसका पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो सकता है। जलवायु परिवर्तन पर बनी अंतर्राष्ट्रीय सचेतक संस्था (आई.पी.सी.सी.) ने 27 सितंबर, 2014 को अपनी 50वीं आकलन रिपोर्ट में इस संबंध में अंतिम चेतावनी दे दी है। इस रिपोर्ट के कुछ अंश निम्नवत है –

(1) आज वातावरण में पिछले 800,000 वर्षों से अधिक कार्बन–डाइऑक्साड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी हरित प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसें हैं।

(2) इन हरित प्रभाव वाली गैसों के सतत् उत्सर्जन से वर्ष 2040 तक 2 डिग्री सेल्सियस वैश्विक ताप वृद्धि क्रांतिक अवरोध (2 डिग्री से. वैरियस) पार हो जायेगा।

(3) वर्ष 2050 तक अंटार्कटिका पूर्णतः हिम (बर्फ) रहित हो जायेगा। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सचेतक संस्था के पांचवीं आकलन आधारित आख्या जो 20–11–14 को प्रकाशित हुई में कहा गया है कि:–

(क) वर्ष 2070 तक अतिरिक्त कार्बनडाईऑक्साइड उत्सर्जन शून्य करना अनिवार्य है।

(ख) वर्ष 2100 तक सभी हरित प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों का अतिरिक्त उत्सर्जन शून्य होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के अउत्क्रमणीय (अपरिवर्तनीय), व्यापक एवं गंभीर प्रभावों से बचने के लिए ऐसा परम् आवश्यक है।

संयुक्त राज्य (यू.के.) के राज समिति (रॉयल सोसायटी) द्वारा हाल में प्रकाशित एक शोध पत्र में चेतावनी दी गई है कि भारतीय वैश्विक गर्मी (ग्लोबल वार्मिंग) के परिणामतः 10गुना अन्यों से अधिक ताप तरंग भुगतेंगे। इन अत्यंत घातक चेतावनियों की हम सर्वनाश के मूल्य पर ही उपेक्षा कर सकते हैं। भक्षण के लिए भेड़िया आपका द्वार खटखटा रहा है। भारत आज प्रत्येक दिन 370 लाख बैरल पेट्रोलियम उत्पाद जला रहा है। विश्व में पेट्रोलियम उत्पादों के खपत वाला भारत चौथा देश है। प्रदूषण उत्पन्न करने में भी इसका यही स्थान है।

इस पृष्ठभूमि में अगले 25 से 30 वर्ष इस धरा के अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और जैसा है चलने दो कि नीति इस संकट को और आगे बढ़ाने का काम करेगी। ऐसे में स्वदेशी जागरण मंच की 12वीं राष्ट्रीय सभा प्रस्ताव करती है कि :–

(1) दिसंबर माह में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो कि पेरू–लीमा में संपन्न हुए, में भारत सरकार के पक्ष की सराहना और अनुमोदन करते हैं। इस सम्मेलन में भारत सरकार ने कहा कि औद्योगीकरण का लाभ पाश्चात्य देशों ने उठाया है। दो शताब्दियों तक प्राकृतिक संसाधनों का उन्होंने दोहन किया तथा अपना ही नहीं हमारा भी पर्यावरण प्रदूषित किया। अब समय है कि भारत जैसे विकासशील देशों को पाश्चात्य देश थोड़ा अवकाश दें तथा ''पाल्यूटर पेज्'' (प्रदूषक भुगते) सिद्धांत पर विकास हेतु हरित तकनीक उपलब्ध करायें। स्वदेशी जागरण मंच सरकार से यह आग्रह करती है कि वो संयुक्त राष्ट्र के आगामी सम्मेलन जो वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित है, में अपने वर्तमान कथन पर दृढ़ रहे।

(2) साथ ही भारत सरकार भी अपने विकास नीति में प्रावधान करे कि न्यूनतम प्रदूषणकारी तकनीकों को बढ़ावा मिले तथा जनसाधारण को सौर ऊर्जा जैसे पर्यावरण हितैषी विकल्पों को वरण करने के लिए प्रोत्साहित करे। व्यक्तिगत यातायात साधनों के स्थान पर जन यातायात साधन जैसे विकल्प पर्यावरण संरक्षण में निष्चित मदद करेंगे।

(3) स्वदेशी जागरण मंच देश की राष्ट्रभक्त जनता से भी अपील करती है कि पर्यावरणीय संकट की गंभीरता को समझते हुए सरकार के पर्यावरण को बचाने में प्रयासों में न केवल सहयोग करें, बल्कि पर्यावरणीय पोषक जीवन पद्धति जैसे निजी एवं सार्वजनिक स्वच्छता, जल, बिजली, भोजन इत्यादि की न्यूनतम बर्बादी इत्यादि।

यदि हम पर्यावरण को बचा पाते हैं तो पर्यावरण हमें बचायेगा। यदि हम इसे नष्ट करते हैं तो ये निश्चित हमें नष्ट कर देगा। हमें चुनाव करना है। ❑

पारित प्रस्ताव-3

विदेशी कंपनियों को आमंत्रण बंद करो

''सरकार के 'मेक इन इंडिया' के नारे के बारे में प्रश्न उठाये जा रहे हैं। हाल ही में एक टीवी चैनल द्वारा इस संबंध में एस.एम.एस. वोटिंग में यह पाया गया कि 68 प्रतिशत लोग सरकार की मेक इन इंडिया नीति के बजाय स्वदेशी जागरण मंच के मेड बाय इंडिया की मांग को सही मानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा भी निर्यात आधारित, मेक इन इंडिया नीति को सही नहीं बताया गया है। अतः स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय सभा यह मांग करती है कि विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने की मेक इन इंडिया की नीति का परित्याग किया जाए।''

स्वदेशी जागरण मंच की यह राष्ट्रीय परिषद सभा सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों को आमंत्रण दिये जाने के लिए गंभीर चिंता व्यक्त करती है। स्वदेशी जागरण मंच की यह स्पष्ट मान्यता है कि पिछले दो दशकों से चल रहे भूमंडलीकरण का देश की अर्थव्यवस्था पर विध्वंसकारी प्रभाव पड़ा है। आज देश पर कर्ज जीडीपी का 70 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जो हमें दुनिया के सबसे अधिक कर्जदार देशों की श्रेणी में खड़ा कर रहा है। सरकार की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 52 प्रतिशत ग्रामीण कर्ज में डूब चुके हैं।

स्वदेशी जागरण मंच दिसंबर 2013 तिरूवंनतपुरम के राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रस्ताव को दोहराता है कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी पूंजी की सीमाओं को बढ़ाने और विदेशियों को देश में आमंत्रण देने से पहले पिछले दो दशकों से ज्यादा समय से चल रही विदेशी निवेश के नये नफे–नुकसानों के बारे में एक 'श्वेत पत्र' जारी करे। स्वदेशी जागरण मंच की यह राष्ट्रीय सभा 280 से ज्यादा संगठनों और संस्थाओं के जयपुर में आयोजित स्वदेशी संगम के उस घोषणा पत्र का यहा अनुमोदन करती है कि वर्तमान सरकार को वर्तमान नारे 'मेक इन इंडिया' का नारा विदेशी कंपनियों को आमंत्रण सरीखा है। स्वदेशी जागरण मंच की स्पष्ट मान्यता है कि भारत जो पी.एस.एल.वी., अंतरिक्ष उपग्रह, आणविक बम, मिसाईल समेत उत्कृष्ट उत्पादन कर सकता है और जिस देश के लोगों ने अपनी कुशाग्र बुद्धि, कौशल, मेहनत और लगन के लिए दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, उस देश की सरकार को देश निर्माण के लिए विदेशियों की और देखने की जरूरत नहीं है।

सरकार केबिनेट द्वारा बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को वर्तमान 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करना, स्वदेशी जागरण मंच के संघर्ष के परिणामस्वरूप एन.डी.ए.–1 के उस संकल्प का उल्लंघन है, जिसमें सरकार द्वारा संसद में वचन दिया गया था कि विदेशी निवेश की सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जायेगा।

स्वदेशी जागरण मंच का मानना है कि बीमा में विदेशी कंपनियों का आगमन शुभ नहीं रहा है। विदेशी भागीदारी वाली जीवन बीमा कंपनियों में पॉलिसी बंदी और जब्ती अनुपात 50 प्रतिशत और उससे भी ज्यादा होना, साधारण और स्वास्थ्य बीमा में बढ़ते प्रीमियम और घटते क्लेम अनुपात आज मुख्य चिंता का विषय बने हुए हैं। यह खुला सत्य है कि विश्व की प्रमुख बीमा कंपनियां दिवालियेपन के कगार पर हैं और अमरीकी सरकार की 170 अरब डालर की सहायता के बाद ही दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ए.आई.जी. को डूबने से बचाया जा सका। ऐसी खोखली कंपनियां हमारे देश के बीमा क्षेत्र का क्या भला करेंगी, यह समय के परे है। यही नहीं बीमा और पेंशन फंड़ों में विदेशी निवेश को बढ़ावा देश की बहुमूल्य बचत पर विदेशी कंपनियों का आधिपत्य जरूर बढ़ा देगा।

सरकार की विदेशी निवेश प्रोत्साहन नीति के कारण, कृषि क्षेत्र में भी अनुबंध पर कृषि के माध्यम से विदेशी कंपनियां प्रवेश कर रही है और उनके कारण जी. एम. फसलों के नाम पर देश की जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा पर तो संकट है ही, देश की पूरी कृषि व्यवस्था भी ये कंपनियां हस्तगत करने की तैयारी में हैं।

पहले से ही चोर दरवाजे से थोक व्यापार के नाम पर 'कैश एण्ड कैरी' को अनुमति की मार झेल रहा देश का खुदरा व्यापार अब 'मार्केट प्लेस' के नाम पर विदेशी ई–कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैरनकानूनी कृत्यों से अब चौपट हो रहा है। उन कंपनियों को प्रतिबंधित करने की बजाए, सरकार द्वारा ई–कॉमर्स में

विदेशी कंपनियों को सीधे आमंत्रण देश के खुदरा व्यापार को समाप्त कर देगा। स्वदेशी जागरण मंच की यह राष्ट्रीय सभा, सरकार से मांग करती है कि विदेशी कंपनियों को ई–कॉमर्स में अनुमति न दे और विदेशी कंपनियों द्वारा चोर दरवाजे से व्यापार पर रोक लगाने हेतु नियमों को दुरूस्त करे।

इसी क्रम में, चीन जो बार–बार घुसपैठ से देश की सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न कर रहा है, उसके साथ विदेशी निवेश संवर्द्धन के समझौते और भी चिंताजनक हैं। स्वदेशी जागरण मंच यह मानता है कि देश में मैन्यूफैक्चरिंग का विकास सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के माध्यम से ही हो सकता है। पिछली एन.डी.ए. सरकार द्वारा लघु उद्योगों के प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा को 3 करोड़ से घटाकर एक करोड़ किया गया था, जिसे पिछली यूपीए सरकार ने 5 करोड़ कर दिया था। स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय सभा यह मांग करती है कि इस सीमा बढ़ाने की कवायद बंद की जाए, ताकि विदेशी कंपनियों का इस क्षेत्र में वर्चस्व न बना सके।

इस सरकार के 'मेक इन इंडिया' के नारे के बारे में प्रश्न उठाये जा रहे हैं। हाल ही में एक टीवी चैनल द्वारा इस संबंध में एस.एम.एस. वोटिंग में यह पाया गया कि 68 प्रतिशत लोग सरकार की मेक इन इंडिया नीति के बजाय स्वदेशी जागरण मंच के मेड बाय इंडिया की मांग को सही मानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा भी निर्यात आधारित, मेक इन इंडिया नीति को सही नहीं बताया गया है।

अतः स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय सभा यह मांग करती है कि विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने की मेक इन इंडिया की नीति का परित्याग किया जाए। भारतीय प्रतिभा, कौशल और संसाधनों पर विश्वास करते हुए देश के विकास की रणनीति तैयार हो। ❑

पारित प्रस्ताव-4 — खेती में विदेशी प्रभाव समाप्त करो

स्वदेशी जागरण मंच का दृढ़ विश्वास है कि भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव किया जाए और भूमि अधिग्रहण कानून की वर्तमान संरचना के वर्तमान कानून तत्काल बदले जाएं। भूमि अधिग्रहण के समय अपवादों को छोड़कर किसी भी परिस्थिति में कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाय। जमीन की मालकियत का हस्तांतरण नहीं किया जाए और जमीन 30 साल के पट्टे पर दिया जाय और किसानों को कारखाने में हिस्सेदार भी बनाया जाए ताकि किसान हिस्सा एवं पट्टे से प्राप्त राशि से खेती लायक बन सकें।

पूंजी के अभाव, तकनीक विकास का अभाव, परंपरागत, रोजगार की समाप्ति, प्राकृतिक जैविक खेती की समाप्ति ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के खात्मे तथा पलायन की मार झेल रही भारतीय खेती एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमर पिछले दस सालों की आर्थिक नीतिओं ने और भी तोड़ दी है।

आज खेती, पशुपालन, मत्स्यपालन, वनोत्पाद संकट के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ मौन्सेन्टो जैसी कंपनियों की नजर भारत के प्राकृतिक क्षेत्र की जैवविविधता पर है और खेती का व्यवसायीकरण बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ आधुनिक खेती के कारण भूमि के बंजरीकरण का उसरीकरण का संकट और ज्यादा बढ़ गया है। विकास के नाम पर बड़ी परियोजनाओं ने पर्यावरण संकट के साथ बड़े पैमाने पर उपजाऊ भूमि में जल–जमाव और दलदल का संकट पैदा किया है। जल, जमीन और जंगल के सवाल गहरे अंतरविरोध को रेखांकित कर रहे हैं। स्वदेशी जागरण मंच की यह राष्ट्रीय सभा अपील करती है कि जमीन, जल और जंगल के प्रबंधन एवं उपयोग का स्वदेशी मॉडल विकसित किया जाय। खेती के लिए स्वदेशी, उन्नत बीजों को विकसित किया जाए। वर्तमान भूमि अधिग्रहण कानून द्वारा छोटे–छोटे गरीब किसानों से भूमि अधिग्रहण किया जाता है। रियल स्टेट एवं विशेष आर्थिक क्षेत्रों के नाम पर किए जा रहे भूमि अधिग्रहण से खेती को भयानक नुकसान हो रहा है। स्वदेशी जागरण मंच का विश्वास है कि किसान, मजदूर, कारीगर और उनसे जुड़े सहायक क्रिया–कलाप, स्वदेशी, स्वावलम्बी, स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के अलावा बड़े पैमाने पर रोजगार का अवसर प्रदान करते हैं।

स्वदेशी जागरण मंच का दृढ़ विश्वास है कि भूमि अधिग्रहण कानून में

बदलाव किया जाए और भूमि अधिग्रहण कानून की वर्तमान संरचना के वर्तमान कानून तत्काल बदले जाएं। भूमि अधिग्रहण के समय अपवादों को छोड़कर किसी भी परिस्थिति में कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाय। जमीन की मालकीयत का हस्तांतरण नहीं किया जाए और जमीन 30 साल के पट्टे पर दिया जाय और किसानों को कारखाने में हिस्सेदार भी बनाया जाए ताकि किसान हिस्सा एवं पट्टे से प्राप्त राशि से खेती लायक बन सकें।

अब समय आ गया है कि सरकार खेती एवं अन्य गतिविधियों के व्यवसायीकरण पर रोक लगाये। पट्टे पर खेती को बढ़ावा न दें। कारखाना, परियोजनाओं आदि के लिए बंजर, उसर और अनुपयोगी जमीन का ही उपयोग हो। आधुनिक खेती पद्धति में परिवर्तन लाया जाए। जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाये। ग्रामीण क्षेत्रों कृषि आधारित उद्योग, ग्रामीण, कुटीर उद्योग तथा खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर किसानों के लिए सम्मानजनक मूल्य तथा रोजगार का अवसर पैदा किये जाए।

जैव सवंर्द्धित खाद्यानों (जी.एम.) के बीजों के प्रयोग और परीक्षण पर तत्काल रोक लगे। इस प्रकार के प्रयोग एवं परीक्षण समग्र मानवता, पशुधन, पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। यह सामान्य खेती को प्रभावित करते हैं जिस पर नियंत्रण संभव नहीं है।

कृषि मूल्य नीति को लागत और मुनाफा आधारित बनाना चाहिए। वर्तमान सत्ताधारी दल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा था कि कृषि समर्थन मूल्य लागत मूल्य पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त जोड़कर दिया जाएगा। यह बात स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में भी कही गई है। उत्पादन मूल्य को समय–समय पर सार्वजनिक किया जाना चाहिए और समय–समय पर तैयार करना चाहिए। मंच की राष्ट्रीय सभा सरकार से अपील एवं मांग करती है कि चुनावी घोषणा को तत्काल लागू करे।

बड़े पैमाने पर रख–रखाव एवं यातायात की असुविधा के कारण तैयार फसलों की बर्बादी होती है। जिससे किसानों को घाटा होता है। एफ.डी.आई. को खुदरा व्यापार में लाने के पीछे यह कारण भी बताया गया था। किसानों को एफ.डी.आई. की आवश्यकता नहीं है, परंतु उपयुक्त यातायात सुविधा एवं भंडारण की आवश्यकता है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त शीतगृह एवं गोदामों की व्यवस्था की जाये। राष्ट्रीय हित में स्थानीय स्तर पर यातायात एवं भंडारण का तंत्र विकसित होना चाहिए।

राष्ट्रीय सभा की मांग है कि कारखाना उत्पादों का लागत मूल्य, बाजार मूल्य के साथ अंकित करने का प्रावधान करे ताकि किसान एवं खाद्य प्रसंस्करण के उद्योगों के बीच संतुलन कायम हो। इसी प्रकार खेती की जरूरत के उत्पादनों पर यह नियम लागू करना चाहिए।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीतिओं में विरोधाभास का शिकार है। उदाहरण के रूप में चीनी उद्योग को लिया जा सकता है। एक तरफ उत्पादन लागत बढ़ने के कारण गन्ने का उचित मूल्य बढ़ाना जरूरी है, लेकिन दूसरी सरकार एथेनॉल और चीनी का दाम संगतपूर्ण बनाने के लिये तैयार नहीं, जिसके कारण चीनी उद्योग समेत अन्य कृषि आधारित उद्योग संकटग्रस्त है। स्वदेशी जागरण मंच सरकार से मांग करती है कि सरकार तत्काल इस भ्रम को दूर करे और सलाह देती है कि लागत जोड़ नीति को स्वीकार कर उचित एवं सम्मानजनक मूल्य नीति बनाये, जो आम आदमी को राहत दे।

स्वदेशी जागरण मंच यह मांग करता है कि खेती, खेती आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग एवं ग्रमीण उद्योग, खादी को मनरेगा के साथ संबद्ध कर उत्पादन व रोजगार को बढ़ावा दे। यह सरकार को एक सबल, स्वावलंबी, स्वाभिमानी, स्वदेशी तथा विकासशील भारत के निर्माण में मदद करेगी तथा एक प्रकार से सामाजिक, आर्थिक क्रांति को जन्म देगा।

इस देश की अजीब विडम्बना है कि जहां एक ओर 55 प्रतिशत से ज्यादा लोग खेती में लगे हैं, वहां कोई कृषि नीति ही नहीं है। सरकार भारतीय कृषि नीति अविलंब घोषित करे। ❑

स्वदेशी सन्देश

आज जो देश आर्थिक दृष्टि से आगे हैं, वही विश्व पर छाये हैं। जापान जैसा छोटा-सा देश अमरीका जैसे विशाल और सम्पन्न देश को भी आज चुनौती दे रहा है। उसका मुख्य कारण है जापानवासियों का स्वदेशी प्रेम। ये लोग सस्ता और अच्छा माल भी यदि वह विदेशी है तो खरीदना स्वीकार नहीं करते। अपने देश का बना महंगा माल ही उन्हें स्वीकार है। जापान की उन्नति का यही राज है।

अंतरिक्ष बाजार में बड़ी छलांग

इसरो ने जिस क्रू मॉड्यूल का परीक्षण किया है, उसे एचएएल ने करीब दो साल पहले तैयार करके उसे दे दिया था। परीक्षण में यह कामयाब रहा। पृथ्वी पर वापसी के दौरान 3775 किलो वजन के इस मॉड्यूल ने गुरूत्वाकर्षण के तहत 1600 डिग्री सेल्सियस के तापमान को आसानी से सहन कर लिया। इसरो ने पहली बार अपने रॉकेट के साथ इतना वजन स्पेस में भेजा।

■ निरंकार सिंह

दुनिया के अन्तरिक्ष बाजार में एक बार फिर भारत का दबदबा बढ़ गया है। 18 दिसंबर को श्रीहरिकोटा में जीएसएलवी मार्क–3 के सफल प्रक्षेपण से भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अब सबसे भारी उपग्रहों को भी पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने में दक्ष हो गया है। इससे अरबों डॉलर के अन्तरिक्ष बाजार में भारत और भी मजबूत प्रतिस्पर्धी बनकर उभरा है। इसके साथ ही पृथ्वी के वातावरण में वापसी करने में सक्षम क्रू मॉड्यूल का परीक्षण किया गया। यह अन्तरिक्ष यात्रियों को भी अन्तरिक्ष में भेज कर वापस ला सकता है। इसके जरिए तापीय दाब को सहते हुए पृथ्वी पर वापसी की संभावना सुनिश्चित की गयी है। मॉडयूल की पृथ्वी पर सफल वापसी से इसरो की ओर से भविष्य में अंतरिक्ष में मानव अभियान को भेजने की संभावना को बल मिला है। इसरो ने भू–स्थैतिक कक्षाओं में इनसेट उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लांच व्हीकल (जीएसएलवी) को विकसित किया है। वर्तमान में यह इसरो का सबसे भारी लांच व्हीकल है। इसमें रूस द्वारा निर्मित क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किया जाता है। भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के मामले में विदेशी निर्भरता को समाप्त करने के मकसद से 1990 में जीएसएलवी प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। 2001 में पहली बार इसको लांच किया गया। इसकी मदद से पृथ्वी की निचली कक्षा (एलईओ) में पाँच हजार किग्रा तक पेलोड और भू–स्थैतिक ट्रांसफर ऑर्बिट में 2000–2500 किग्रा तक के पेलोड प्रक्षेपित किए जा सकते है।

अन्तरिक्ष में उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने का काम अमेरिका बहुत पहले से कर रहा है। रूस और चीन के पास भी यह तकनीक है। मगर अब बहुत सारे देश भारत की तरफ रूख कर रहे हैं तो इसलिए कि यहां उपग्रहों को स्थापित करने का शुल्क दूसरे देशों की तुलना में काफी कम है. . .इस तरह भारत उपग्रह प्रक्षेपण कारोबार में दुनिया के अग्रणी देशों की कतार में पहुँच गया है।

अन्तरिक्ष में उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने का काम अमेरिका बहुत पहले से कर रहा है। रूस और चीन के पास भी यह तकनीक है। मगर अब बहुत सारे देश भारत की तरफ रूख कर रहे हैं तो इसलिए कि यहां उपग्रहों को स्थापित करने का शुल्क दूसरे देशों की तुलना में काफी कम है। फिर पीएसएलवी की भार वहन करने की क्षमता अधिक है। इस तरह इसरो एक साथ कई उपग्रह स्थापित कर पाता है। इस मामले में दुर्घटनाओं या उपग्रहों को क्षति पहुँचाने आदि की शिकायतें भी नहीं मिली है।

इस तरह भारत उपग्रह प्रक्षेपण कारोबार में दुनिया के अग्रणी देशों की कतार में पहुँच गया है। करीब दस साल पहले तक शिक्षा, प्रतिरक्षा, संचार और सूचना तकनीक से जुड़ी तमाम समस्याएं दूसरे देशों से किराये पर उपग्रह सेवाएं लिया करती थी। उपग्रहों की तादाद और क्षमता कम, और उनका शुल्क अधिक होने की वजह से खर्च बढ़ जाता था। अब उपग्रह प्रक्षेपण क्षमता और सुविधाजनक हो जाने का ही नतीजा है कि अलग–अलग सेवाओं और जरूरतों के मुताबिक अलग–अलग उपग्रह तैयार कर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किये जाने लगे हैं।

इसरो ने जिस क्रू मॉड्यूल का परीक्षण किया है, उसे एचएएल ने करीब दो साल पहले तैयार करके उसे दे दिया था। परीक्षण में यह कामयाब रहा। पृथ्वी पर वापसी के दौरान 3775 किलो वजन के इस मॉड्यूल ने गुरूत्वाकर्षण के तहत 1600 डिग्री सेल्सियस के तापमान को आसानी से सहन कर लिया। इसरो ने पहली बार अपने रॉकेट के साथ इतना वजन स्पेस में भेजा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग ने इस रॉकेट के विकास के लिए इसरो को कई तरह के सेंसर मुहैया कराए तो मौसम विभाग ने मौसम के हर पहलू से रूबरू कराया। डीआरडीओ की आगरा लैब ने क्रू मॉड्यूल को समुद्र में उतारने के लिए खास पैराशूट बनाए। इसकी मदद से मॉड्यूल को बंगाल की खाड़ी में उतार लिया गया। अमेरिका, रूस और चीन के बाद अब भारत ने भी मानव को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता हासिल कर ली है। प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एसएलवी–3 से लेकर आईआरएस एवं इनसैट श्रेणी के उपग्रह की जरूरतों के मुताबिक बड़े तथा कम लागत के प्रक्षेपण यान तैयार करने का कार्य पूरा किया जा चुका है। स्वदेशी प्रक्षेपण यान को विकसित करना इस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत जितना खर्च एक उपग्रह बनाने में करता था उससे कहीं अधिक उसे इसके प्रक्षेपण के लिए किसी विदेशी संस्था को देना पड़ता था। अब वह अपने बलबूते पर उपग्रहों का प्रक्षेपण कर रहा है। 1992 में अंतरिक्ष कार्यक्रम के व्यावसायिक उपयोग की दृष्टि से एटीआरआइसी की स्थापना की गई। इस कंपनी द्वारा अंतरिक्ष सुविधाओं के विपणन का कार्य किया जा रहा है। आज अंतरिक्ष कार्यक्रम के तीनों क्षेत्रों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। भारत द्वारा प्रथम श्रृंखला के उपग्रहों को अमेरिका की कोई कंपनी से खरीदा गया था। दूसरी, तीसरी, चौथी श्रृंखला एवं विशिष्टीकृत उपग्रहों को भारत अब स्वयं बना रहा है और इसको दूसरे देशों को बेचा जा सकता है। इसके कलपुर्जे भी बेचे जाते हैं। देशी विदेशी एवं निजी, सरकारी संस्थाओं को ट्रांसपोडर बेचा जा सकता है। उदाहरण के लिए 32 निजी इनसैट चैनल ट्रांसपोंडरों पर आधारित है।

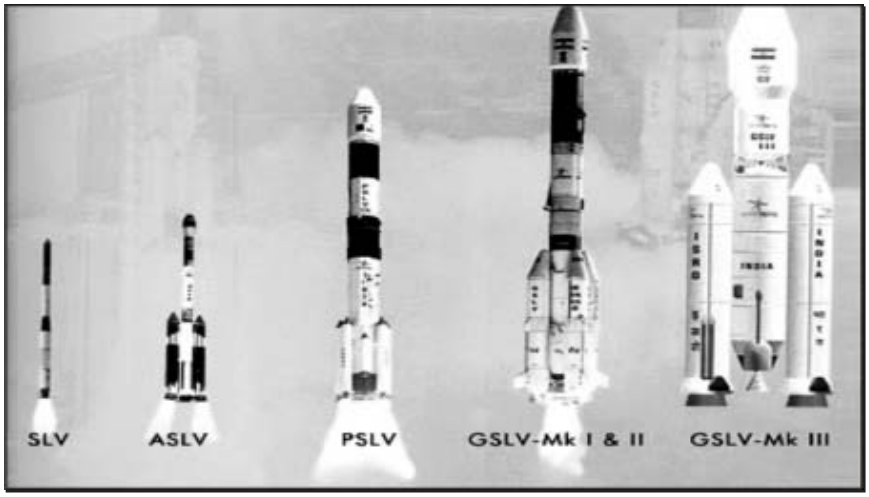

अंतरिक्ष में बढ़ती व्यावसायिक संभावनाओं के मद्देनजर इसरो ने सितम्बर 1992 में अंतरिक्ष कार्यक्रमों के व्यावसायिक उद्देश्य के लिए अंतरिक्ष कारपोरेशन लि. नामक कम्पनी का गठन किया। भारत अब विभिन्न देशों को पीएसएलवी द्वारा 400–450 किग्रा. के उपग्रहों को प्रेषित करने की पेशकश कर रहा है। इस दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम पीएसएलवी–सी 3 द्वारा कोरियाई किटसैट और जर्मन टयूबसैट को अंतरिक्ष में स्थापित किया जाना था। इसके बाद पीएसएलवी–सी 3 में आइआरएस पी 5

नया उपग्रह 'सरल' से सागर के मौसम, विज्ञान और ऋतुओं की सही भविष्यवाणी संभव हो सकी है। इसके अब इसरो जीएसएलबी मार्क–3 से पृथ्वी की कक्षा में भारी उपग्रहों को भी स्थापित कर सकेगा। दुनिया के अंतरिक्ष बाजार में हम आगे है लेकिन विश्व बाजार में हम बहुत पीछे है। यह हमारे राजनेताओं और नागारिक प्रशासन के अधिकारियों के सोच का विषय भी होना चाहिए।

के साथ बेल्जियम के 'प्रोच' और जर्मनी के 'बर्ड' को कक्षा में स्थापित किया गया। इसरो ने विश्व प्रसिद्ध अंतरिक्ष पत्रिका स्पेस न्यूज में पीएसएलवी यान पर ''आपका स्वागत है'' का विज्ञापन दिया था। साथ ही अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंदियों की तुलना में 30 प्रतिशत कम प्रक्षेपण शुल्क की घोषणा की थी। इसके अलावा जीएसएलवी के सफल परीक्षण के बाद उसके व्यावहारिक उपयोग की कोशिश की जा रही है। इस दिशा में सफलता के साथ ही भारत विभिन्न देशों के समक्ष भू–स्थैतिक कक्षा में स्थापित किये जाने वाले उपग्रहों को भी कम समय एवं कम शुल्क पर प्रक्षेपित करने का प्रस्ताव कर चुका है। जीएसएलवी डी–4 से जीएसएटी–4 के साथ भारत एवं इजराएल के बीच का टोवैक्स उपग्रह को भेजने सम्बन्धी समझौता हुआ है। आइआरएस पी–3 से प्राप्त आंकड़ों के अंतरिक्ष बाजार में विपणन के लिए अमेरिकी कम्पनी जीईओ–एसएटी से 10 वर्ष तक अनुबन्ध किया गया है। साथ ही अन्य सुदूर संवेदी उपग्रहों (आइआरएस) के आंकड़ों को भारत अपने पड़ोसियों के साथ बांटने की क्षमता रखता है। 18 दिसंबर 2014 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किये गये जीएसएलबी मार्क–3 का भार 629 टन है। इसकी लम्बाई 49 मीटर है, लागत लगभग 140 करोड़ रूपयें है। इसकी डिजाइन इस तरह तैयार की गई है कि यह 5000 टन तक के भारी इनसेट उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर सकें।

इसरो ने इनसैट–2ई के 11 ट्रांसपोंडरों को इनटेलसैट को बेचकर 10 करोड़ डालर की कमाई की है। इसी के साथ भारत बहुउद्देशीय उपग्रहों के व्यावसायिक उपयोग की दृष्टि से उन्नत देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है। इसके साथ ही इसरो इनसैट और आइआरएस श्रेणी के उपग्रहों को बने बनाये बेचने, तकनीक, स्पेयर पार्ट्स, कंसलटेंसी एवं अन्य सूचनाओं को तीसरी दुनिया के देशों के साथ बांटने की क्षमता में और वृद्धि कर रहा है। अब इनका व्यावसायिक उपयोग संभावित है। जहां तक अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम की सामाजिक उपादेयता का प्रश्न है, इसकी उपस्थिति चारों ओर देखी जा सकती है। दूरसंचार क्षेत्र की क्रान्ति को अंतरिक्ष कार्यक्रम से जोड़कर देखा जा सकता है। इनसेट एवं आइआरएस श्रेणी के उपग्रहों द्वारा दूरदर्शन से लेकर शैक्षणिक विकास कार्यक्रमों तक का नियंत्रण एवं संचरण भारतीय समाज के लिए वरदान साबित हुआ है। कार्टोसेट एवं हेमसैट तथा मेटसैट जैसे उपग्रह दैनदिन आवश्यकताओ को नियंत्रित कर रहे हैं। इसी श्रेणी में एडुसैट का नाम भी लिया जा सकता है जो शैक्षणिक कार्यक्रमों को सुदूर गांवों तक पहुॅचाने में सक्षम हुआ है तथा इससे वयस्क शिक्षा को बढ़ावा मिला है। नया उपग्रह 'सरल' से सागर के मौसम, विज्ञान और ऋतुओं की सही भविष्यवाणी संभव हो सकी है। इसके अब इसरो जीएसएलबी मार्क–3 से पृथ्वी की कक्षा में भारी उपग्रहों को भी स्थापित कर सकेगा। दुनिया के अंतरिक्ष बाजार में हम आगे है लेकिन विश्व बाजार में हम बहुत पीछे है। यह हमारे राजनेताओं और नागारिक प्रशासन के अधिकारियों के सोच का विषय भी होना चाहिए। ❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

हमारा पता है :–

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

सेज के नाम पर उपजाऊ भूमि की लूट

कैग की मानें तो कंपनियों ने सेज के नाम पर सरकार से बड़ी तादाद में जमीन हासिल की लेकिन उस अनुपात में जमीन का इस्तेमाल सेज के लिए नहीं हुआ। जमीन की कीमत बढ़ने के बाद सेज बनाने की अधिसूचना वापस लेकर जमकर मुनाफा कमाया गया। कैग के मुताबिक देश के छह राज्यों– आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल – में 39245.56 हेक्टेयर भूमि सेज के रूप में अधिसूचित हुई जिसमें से 5402.22 हेक्टेयर की अधिसूचना रद्द कर उसका इस्तेमाल अन्य व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया गया।

■ अरविन्द जयतिलक

यह बेहद चिंताजनक है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज के नाम पर बड़ी–बड़ी कंपनियों ने कृषि योग्य जमीनों की लूटपाट मचा रखी है। कैग द्वारा खुलासा किया गया है कि देश में सेज के लिए 45635.63 हेक्टेयर जमीन की अधिसूचना जारी हुई लेकिन काम–काज सिर्फ 28488.49 हेक्टेयर पर शुरू हुआ है। यानी कुल 62.42 प्रतिशत जमीन पर ही परिचालन शुरू हुआ है। कैग की मानें तो कंपनियों ने सेज के नाम पर सरकार से बड़ी तादाद में जमीन हासिल की लेकिन उस अनुपात में जमीन का इस्तेमाल सेज के लिए नहीं हुआ। जमीन की कीमत बढ़ने के बाद सेज बनाने की अधिसूचना वापस लेकर जमकर मुनाफा कमाया गया। कैग के मुताबिक देश के छह राज्यों– आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल – में 39245.56 हेक्टेयर भूमि सेज के रूप में अधिसूचित हुई जिसमें से 5402.22 हेक्टेयर की अधिसूचना रद्द कर उसका इस्तेमाल अन्य व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया गया।

विडंबना यह कि यह सब सरकार की जानकारी में है, बावजूद इसके खेल जारी है। कैग के मुताबिक सरकार ने सेज को बढ़ावा देने के लिए 83104.76 करोड़ रपए की छूट भी दी है और यह लाभ पाने वाली कई कंपनियां पूरी तरह अयोग्य हैं और सरकार को 1150.06 करोड़ का नुकसान पहुंचा है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी कह चुकी है कि देश में उदारीकरण की नीतियां

लागू होने के बाद 1990 से लेकर 2005 के बीच लगभग 60 लाख हेक्टेयर खेती की जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। इनमें अधिकांश का उपयोग गैर–कृषि कार्य में हो रहा है। नतीजतन खेती की अर्थव्यवस्था चौपट होने के कगार पर है। जिन क्षेत्रों में सरकारें खेती की जमीनों को अधिग्रहीत कर रही हैं, उनमें विस्थापन को लेकर विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। अपनी जमीन गंवाने के बाद अब किसानों के पास जीविका का कोई साधन नहीं रह गया है। लिहाजा वे खानाबदोशों की तरह जीवन गुजारने को विवश हैं। विस्थापित किसानों के लिए सरकार के पास न कोई ठोस पुनर्वास नीति है और न रोजी–रोजगार से जोड़ने का कारगर तरीका। नतीजा कल तक जो किसान थे, आज खेतिहर मजदूर बन गए हैं। विकास के लिए भूमि का अधिग्रहण जरूरी है लेकिन कृषि योग्य भूमि की कीमत पर नहीं।

दूसरी ओर हमारे पड़ोसी देश चीन में सत्तर हजार किमी से अधिक हाइवे का निर्माण कर चुका है लेकिन इसके लिए कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। यही वजह है कि कृषि योग्य भूमि कम होने के बावजूद चीन उत्पादन के मामले में हमसे आगे है। कृषि की हालत कितनी चौपट हो चुकी है, यह इसी से समझा जा सकता है कि 2001 में देश में 12 करोड़ 73 लाख किसान थे,

जिनकी संख्या एक दशक यानी 2011 में घटकर 11 करोड़ 87 लाख रह गई है। यानी 86 लाख किसान कृषि कार्य से विरत हुए हैं। माना जा रहा है कि प्रकृति पर आधारित कृषि, देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ एवं सूखे का प्रकोप, प्राकृतिक आपदा से फसलों की क्षति और ऋणों के बोझ के कारण बड़े पैमाने पर किसान खेती छोड़ने को मजबूर हुए हैं।

पिछले एक दशक के दौरान महाराष्ट्र में सर्वाधिक 7.56 लाख, राजस्थान में 4.78 लाख, असम में 3.30 लाख और हिमाचल में एक लाख से अधिक किसान खेती को तिलांजलि दे चुके हैं। इसी तरह उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल जैसे छोटे राज्यों में भी किसानों की संख्या घटी है। आश्चर्यजनक यह कि इस दौरान देश में कृषि मजदूरों की संख्या बढ़ी है। फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचना गलत नहीं होगा कि खेती करने वाले किसान ही खेतिहर मजदूर बन रहे हैं। इसका मूल कारण सेज के नाम पर कृषि योग्य जमीनों की लूटपाट, सिंचाई एवं उर्वरक की अनुपलब्धता और बिजली का अभाव इत्यादि है।

आंकड़े बताते हैं कि देश में 1990 से 2005 के बीच 20 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि कम हुई है। गौरतलब है कि एक हजार हेक्टेयर खेती की जमीन कम होने पर 100 किसानों और 760 खेतिहर मजदूरों की आजीविका छिनती है। आज देश में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की उपलब्धता 0.18 हेक्टेयर रह गई है। 82 प्रतिशत किसान लघु एवं सीमांत किसानों की श्रेणी में आ गए हैं और उनके पास कृषि भूमि दो हेक्टेयर या उससे भी कम रह गई है। देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी भी लगातार घट रही है। आंकड़ों पर गौर करें तो 1950– 51 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भागीदारी 51.9 थी, जो 1990–91 में 34.9 प्रतिशत रह गई। आज 2012–13 में यह घटकर 13.7 प्रतिशत पर आ गई है। यह सही है कि उद्योग–धंधे, कल–कारखाने एवं सेवा क्षेत्र में सतत विकास की वजह से कृषि की भागीदारी कम हुई है, लेकिन पिछले तीन दशक में कृषि पर निर्भर आबादी में इजाफा दर्शाता है कि गैर–कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का आनुपातिक फैलाव नहीं हुआ है।

दूसरी ओर खेती के विकास में क्षेत्रवार विषमता बढ़ना, प्राकृतिक बाधाओं से पार पाने में विफलता, भू–जल का संकट और हरित क्रांति वाले इलाकों में पैदावार में कमी और भी चिंताजनक है। इस दिशा में सुधार की कोई ठोस पहल नहीं हो रही है। लगातार बढ़ती आबादी, शहरों तथा उद्योगों का विस्तार एवं कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण भी कृषि की समस्या बढ़ा रहा है। इसमें दो राय नहीं कि इन साढ़े छह दशकों में देश ने चतुर्दिक प्रगति की है। मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हुआ है और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है, लेकिन फसलों और बाजारों की दूरी न घटने, फसलों का उचित मूल्य न मिलने, कृषि में मशीनीकरण और आधुनिक तकनीकी का अभाव आदि कारणों से कृषि व किसानों की दुर्दशा बढ़ी है। बढ़ती ऋणग्रस्तता की वजह से वे आत्महत्या करने को मजबूर हैं।

एक आंकड़े के अनुसार 2004 में 4385, 2005 में 3175 और 2006 में 1901 किसानों ने आत्महत्या की।

राहतकारी बात यह है कि अब किसानों की आत्महत्या की प्रवृत्ति में कमी आ रही है। 2007 में 1627 किसानों ने आत्महत्या की जो 2012 में घटकर 697 रह गयी। किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा योजना से किसानों को थोड़ी राहत मिली है। अच्छी बात है कि सरकार कृषि के विकास में तेजी लाने और इस क्षेत्र में पूंजी निवेश में वृद्धि के लिए प्रयासरत है। उसकी पहल से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, गुणवत्तापूर्ण बीज के उत्पादन और वितरण, राष्ट्रीय बागवानी मिशन जैसी अनगिनत योजनाएं चल रही हैं और इससे किसानों को लाभ पहुंच रहा है। उचित होगा कि सरकार सेज के नाम पर कृषि योग्य जमीनों की लूटपाट पर लगाम कसे और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ गैर–कृषि क्षेत्र को भी प्रोत्साहित करे ताकि अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल सके। समझना होगा कि भारत अब भी कृषि प्रधान देश है और अधिसंख्य जनता कृषि पर अवलंबित है। ❑

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, गुणवत्तापूर्ण बीज के उत्पादन और वितरण, राष्ट्रीय बागवानी मिशन जैसी अनगिनत योजनाएं चल रही हैं और इससे किसानों को लाभ पहुंच रहा है। उचित होगा कि सरकार सेज के नाम पर कृषि योग्य जमीनों की लूटपाट पर लगाम कसे और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ गैर–कृषि क्षेत्र को भी प्रोत्साहित करे ताकि अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल सके। समझना होगा कि भारत अब भी कृषि प्रधान देश है और अधिसंख्य जनता कृषि पर अवलंबित है।

कृषि भयावह संकट के दौर में

रघुराम राजन ने जब रिजर्व बैंक के गवर्नर का पद संभाला था तो उन्होंने भी कुछ इसी तरह की भावना व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि भारत में असली प्रगति तब होगी जब हम लोगों को कृषि से बाहर निकालकर शहरों में लाने में सफल होंगे। वह ऐसा कहने वाले अकेले अर्थशास्त्री नहीं हैं। अधिकांश मुख्यधारा के अर्थशास्त्री भी कई दशकों से इसी तरह के विचार व्यक्त करते रहे हैं। यह इन्हीं विचारों का नतीजा है कि सरकारी नीतियों में कृषि की अनदेखी की जाती है। कृषि भारत के आर्थिक राडार से गायब ही हो गई है।

■ देविन्दर शर्मा

सब कुछ सोचे अनुसार चल रहा है। कृषि के संदर्भ में राष्ट्रीय नमूना सर्वे संगठन (एनएसएसओ) की हालिया रिपोर्ट साफ तौर पर बताती है कि जैसा अनुमान लगाया जा रहा था, चीजें उसी तरह चल रही हैं। कृषि न केवल भयावह संकट के दौर से गुजर रही है, बल्कि उसका तेजी से क्षरण भी हो रहा है। मैं चकित नहीं हूँ। आखिरकार 1996 में ही विश्व बैंक ने भारतीय कृषि के पतन की दिशा बता दी थी। तब विश्व बैंक ने अनुमान लगाया था कि अगले बीस वर्षों में यानी 2015 तक भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी इलाकों में पलायन का आंकड़ा ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की साझा आबादी के आंकड़े की बराबरी कर लेगा। इन तीनों देशों की संयुक्त आबादी 20 करोड़ है और विश्व बैंक ने अनुमान लगाया था कि 2015 के अंत तक ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन का आंकड़ा इस संख्या तक पहुंच सकता है।

यह भयावह स्थिति केवल इसीलिए उत्पन्न हुई है, क्योंकि कृषि फायदे का व्यवसाय नहीं रह गई है। घाटे की खेती करते–करते किसान ऊब चुके हैं और वे न केवल इसे छोड़ने के लिए विवश हैं, बल्कि रोजी–रोटी की तलाश में शहरी इलाकों का रुख भी कर रहे हैं। 2008 की अपनी विश्व विकास रिपोर्ट में विश्व बैंक ने यह इच्छा प्रकट की थी कि भारत भूमि अधिग्रहण के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के कौशल विकास के लिए देशव्यापी प्रशिक्षण केंद्र बनाने की प्रक्रिया तेज करे ताकि उन्हें औद्योगिक श्रमिक के रूप में तैयार किया जा सके। अब किसानों को कृषि से बाहर निकालने की प्रक्रिया कहीं अधिक स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। इसके संकेत पिछले 17 वर्षों में तीन लाख से अधिक किसानों की आत्महत्या तथा 42 प्रतिशत किसानों द्वारा विकल्प उपलब्ध होने की दशा में कृषि छोड़ने के इच्छुक होने जैसे तथ्यों से भी मिलते हैं। ये तथ्य जिन परिस्थितियों की देन हैं उनमें कृषि को जानबूझकर सार्वजनिक क्षेत्र की फंडिंग से दूर रखने के प्रयास भी शामिल हैं।

हालात दिन–प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। बढ़ती कर्जदारी को समाप्त करने के लिए कोई प्रयास न होना तथा करीब 58 प्रतिशत किसानों के रोज ही भूखे सोने के तथ्य भी यह बताते हैं कि किसान पलायन के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। 2011 की जनगणना बताती है कि रोज 2400 से अधिक किसान कृषि छोड़कर शहरों की ओर चल पड़ते हैं। कुछ स्वतंत्र अनुमान तो हर वर्ष शहर पलायन करने वाले लोगों की संख्या 50 लाख के आसपास बताते हैं। रघुराम राजन ने जब रिजर्व बैंक के गवर्नर का पद संभाला था तो उन्होंने भी कुछ इसी तरह की भावना व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि भारत में असली प्रगति तब होगी जब हम लोगों को कृषि से बाहर निकालकर

शहरों में लाने में सफल होंगे। वह ऐसा कहने वाले अकेले अर्थशास्त्री नहीं हैं। अधिकांश मुख्यधारा के अर्थशास्त्री भी कई दशकों से इसी तरह के विचार व्यक्त करते रहे हैं। यह इन्हीं विचारों का नतीजा है कि सरकारी नीतियों में कृषि की अनदेखी की जाती है। कृषि भारत के आर्थिक राडार से गायब ही हो गई है।

जब 70 प्रतिशत किसानों के पास एक हेक्टेयर से कम जमीन है और चालीस प्रतिशत से अधिक किसान मनरेगा जॉब कार्ड धारक हैं तब यह अपने आप साफ हो जाता है कि पिछले कुछ वर्षों में खेती–किसानी किस तरह घाटे का सौदा बनकर रह गई है। सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार पांच लोगों का एक सामान्य परिवार फसल के उत्पादन से 3078 रुपये प्रति माह कमाता है और 765 रुपये उसे डेयरी से मिल जाते हैं। अगर इसमें 2069 रुपये प्रतिमाह मजदूरी अथवा सेलरी के तथा 514 रुपये गैर कृषि गतिविधियों के जोड़ दिए जाएं तो एक घर की कुल मासिक आय 6426 रुपये हो जाती है। दूसरे शब्दों में फसल उत्पादन तथा अन्य संबंधित कायरें से एक परिवार को 3843 रुपये मासिक प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है कि एक कृषक परिवार के घर में आमदनी का केवल 60 प्रतिशत हिस्सा कृषि से आता है। यदि हरित क्रांति के 45 वर्ष बाद एक किसान के नसीब में मात्र इतना ही पैसा आता है तो क्या यह राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं है? क्या इसका यह मतलब नहीं है कि तकनीकी विकास के नाम पर अंधाधुंध तरीके से झोंकी गई गहन कृषि तकनीकें किसानों के जीवन में खुशहाली लाने में नाकाम साबित हुई हैं?

वैसे तो एनएसएसओ हमें यह बताता है कि 15.61 करोड़ ग्रामीण घरों में 57 प्रतिशत घर कृषि से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि इन परिवारों में कम से कम एक सदस्य या तो कृषि कर रहा है अथवा पशुपालन से जुड़ा हुआ है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि खेती से संबंधित ये परिवार भी निरंतर उपेक्षा तथा संवेदनहीनता के शिकार हो रहे हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि के लिए कुल बजट आवंटन एक लाख करोड़ रुपये था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत अगले पांच सालों में बजट आवंटन बढ़कर डेढ़ लाख करोड़ रुपये हो गया। इस वर्ष यानी 2014–15 में 58 प्रतिशत आबादी को रोजगार उपलब्ध कराने वाली कृषि को केवल 24000 करोड़ मिले। दूसरी ओर इस वर्ष उद्योग सेक्टर को 5. 73 लाख करोड़ रुपये की केवल कर छूट प्राप्त हुई। और भी विचित्र यह है कि मनरेगा तक को कृषि की तुलना में अधिक बजटीय आवंटन मिला।

जब कृषि को जानबूझकर सरकारी फंडिंग से दूर कर दिया गया है तो इसके गंभीर चिंताजनक नतीजे होने ही थे। राहत की एकमात्र बात किसानों को दिया जाने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी है। इसमें भी यह गौर करने लायक है कि पिछले तीन वर्षों में गेहूं और चावल के समर्थन मूल्य में प्रति वर्ष केवल 50 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। यह देश में इन चीजों की बढ़ती महंगाई के अनुरूप भी नहीं है।

जब कृषि को जानबूझकर सरकारी फंडिंग से दूर कर दिया गया है तो इसके गंभीर चिंताजनक नतीजे होने ही थे। राहत की एकमात्र बात किसानों को दिया जाने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी है। इसमें भी यह गौर करने लायक है कि पिछले तीन वर्षों में गेहूं और चावल के समर्थन मूल्य में प्रति वर्ष केवल 50 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। यह देश में इन चीजों की बढ़ती महंगाई के अनुरूप भी नहीं है। किसानों को सहारा देने के बजाय ऐसे हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं जिससे सरकारी खरीद की प्रक्रिया ही समाप्त हो जाए। इसके तहत एमएसपी को खत्म करने के सुझाव दिए जा रहे हैं। इसका मतलब होगा किसानों को बाजार की मनमानी के हवाले कर देना। लागत और मूल्य आयोग खुद ही एमएसपी को समाप्त करने की मांग कर रहा है ताकि बाजार ही यह तय कर सके कि किसानों को उनकी उपज की क्या कीमत मिलनी चाहिए? इस तरह के सुझाव देते हुए यह नहीं बताया जा रहा है कि केवल आठ प्रतिशत किसानों को ही एमएसपी का लाभ होता है और हर लिहाज से 92 प्रतिशत किसान उस निजी व्यापार पर निर्भर बने रहते हैं जो उनका शोषण करता रहा है। पंजाब के किसानों को एक सुनिश्चित एमएसपी हर वर्ष मिलता है, जबकि बिहार के किसान इससे वंचित रहते हैं। अगर एमएसपी समाप्त कर दिया जाता है तो पंजाब के किसान भी बिहार जैसे हालात से गुजरने के लिए विवश होंगे। खाद्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को यह जो निर्देश दिया है कि वे केंद्र द्वारा घोषित एमएसपी के ऊपर किसानों को कोई बोनस न दें वह इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है।❑

रोजगार गारंटी के विकल्प

सरकार को चाहिए कि डॉ. फेल्प्स द्वारा बताई गई रोजगार सब्सिडी की ओर ध्यान दे। मनरेगा को सिंचाई एवं इंदिरा विकास जैसी योजनाओं से जोड़ने से सरकार पर परावलंबन बना रहता है। इस रकम को इस प्रकार से वितरित करना चाहिये कि किसान तथा उद्यमी के लिये श्रमिक को रोजगार देना हल्का पड़े। जैसे प्राविडेन्ट फन्ड का हिस्सा उद्यमी को सरकार के द्वारा दिया जा सकता है। अथवा साल के अंत में उद्यमी द्वारा सृजित किये गये रोजगार पर 500 रुपये प्रति श्रमिक प्रतिमाह की सब्सिडी उद्यमी को दी जा सकती है. . .

■ डॉ. भरतझुनझुनवाला

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मनरेगा की गतिविधियों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, इंदिरा आवास तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने को कहा है। यह कदम सही दिशा में है। साथ–साथ सरकार ने मनरेगा को छोटा करने के विचार को त्याग दिया है। यूपीए सरकार ने इस योजना को देश के सभी 6500 ब्लाकों में लागू किया था। एनडीए सरकार ने मन बनाया था कि इस योजना को केवल 2500 पिछड़े ब्लाकों में लागू किया जाये। इस विचार को निरस्त करते हुये सरकार ने निर्णय लिया है कि योजना सभी 6500 ब्लाकों में जारी रहेगी। दोनों ही निर्णयों का स्वागत किया जाना चाहिये।

इसमें कोई संदेह नहीं कि मनरेगा के कारण गरीब को महान राहत मिली है। मनरेगा के लागू होने के बाद दो वर्षों के अन्दर खेत मजदूरों की दिहाड़ी 120 रुपये से बढ़कर 250 हो गई थी। बिहार के श्रमिकों ने पंजाब जाना कम कर दिया था क्योंकि उन्हें घर के पास रोजगार मिल रहा था चाहे वह सीमित मात्रा में ही क्यों न हो। मनरेगा के सर्वत्र लागू रहने से आम आदमी को मिलने वाली यह राहत जारी रहेगी। अब तक मनरेगा में तमाम बेजरूरत कार्य करवाये जा रहे थे जैसे एक ही सड़क पर बार–बार मिट्टी डाली जा रही थी। इस शक्ति का उपयोग सिंचाई कार्यों में करने से उपयोगी कार्य किये जा सकेंगे।

रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत पहले सरकार द्वारा चालू उद्यम पर टैक्स लगाया जाता है। इस टैक्स के भार से कुछ उद्यम दबाव मे आकर बंद हो जाते

हैं। उद्यम बंद होने के कारण बेरोजगार लोगो की संख्या मे वृद्धि होती है और रोजगार गारंटी कार्यक्रम पर भार बढ़ता है। बिहार के श्रमिक पंजाब नहीं गए तो उनका अतिरिक्त बोझ रोजगार गारंटी कार्यक्रम पर आ पड़ा है। इस बढ़ते खर्च की पूर्ति के लिए सरकार को चल रहे उद्यमो पर ज्यादा टैक्स लगाना पड़ता है। उद्यमी को भी दिहाड़ी ज्यादा देनी पड़ती है जिससे दूसरे उद्यम बंद हो जाते है। इस प्रकार टैक्स मे वृद्धि, उद्यमो के बंद होने एवं उत्तरोत्तर अधिक लोगो के बेरोजगार होने का दुष्चक्र पैदा हो जाता है।

इस योजना मे रिसाव की भी समस्या है। टैक्स लगाकर वसूल की गई रकम को सरकारी बाबुओ के माध्यम से गाँव तक पहुँचाया जाता है। इस प्रक्रिया मे रिसाव होता है। किसी प्रधान ने बताया कि कार्यक्रम मे बाबू केवल ऐसे कार्यों की स्वीकृति देते है जिनके लिए माल की सप्लाई मे उन्हे कमीशन मिलता है। जैसे चक डैम बनाने की स्वीकृति आसानी से मिल जाती है चूँकि लोहे के तार की खरीद मे बाबूओं को कमीशन मिल जाता है। जल संग्रहण के लिए टैन्च खोदने की स्वीकृति नही मिलती है चूँकि इसमे माल की सप्लाई की जरूरत नही होती है। रिसाव एवं बाबूओं के प्रशासनिक खर्च काटने के बाद जो रकम बचती है वह श्रमिको को भिक्षा के रूप मे मिलती है।

अमरीका एवं यूरोपीय देशो मे बेरोजगारी भत्ता कार्यक्रम का लगभग ऐसा ही प्रभाव पड़ा है। इस बात को नोबल पुरस्कार विजेता डॉ. एडमंड फेल्प्स ने स्पष्ट रूप से बताया है। उनका कहना है कि रोजगार सब्सिडी इस प्रकार देनी चाहिए कि लोग आत्मनिर्भर हो सके और कामर्शियल रोजगार ढूढ़ सके। उन्होंने बताया कि अमरीका एवं यूरोप मे सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा योजनाए बड़े पैमाने पर लागू है। परन्तु इनसे बेरोजगारी कम होने के स्थान पर बढ़ रही है। मुफ्त मे मिल रही इस राहत को प्राप्त करने के लालच मे बेरोजगार को रोजगार ढूढ़ने की प्रेरणा नहीं रह जाती है, सरकार पर उनकी निर्भरता बढ़ती है और वे कामर्शियल कार्यो से दूर हो जाते हैं।

डॉ. फेल्प्स का सुझाव है कि बेरोजगारी भत्ता अथवा रोजगार गारंटी जैसी योजनाओं के स्थान पर उद्योगों को रोजगार सब्सिडी दी जाए। मसलन प्रत्येक श्रमिक के वेतन मे 500 रुपए सरकार द्वारा दिए जा सकते है अथवा प्राविडेन्ट फण्ड के श्रमिक तथा उद्यमी के योगदान को सरकार द्वारा दिया जा सकता है। ऐसा करने से बड़े किसानों एवं उद्यमों के लिए श्रमिको को रोजगार देना सस्ता हो जाएगा और कामर्शियल रोजगार मे वृद्धि होगी। दी गई रकम की आंशिक वसूली बढ़ी हुई कामर्शियल गतिविधि से हो जाएगी। श्रम सस्ता होने के कारण उद्यमो की लागत कम आएगी, वे उत्पादन ज्यादा करेंगे और टैक्स ज्यादा अदा करेंगे। रोजगार सब्सिडी से उत्पादन मे वृद्धि एवं बेरोजगारी में कमी का सुचक्र स्थापित होता है।

रोजगार गारंटी के समर्थन मे तर्क दिया जाता है कि इससे श्रमिको की ऊँचे वेतन मांगने की ताकत बढ़ जाती है। जैसे बिहार के श्रमिक पंजाब जाने के लिए 200 रुपए के स्थान पर 300 रुपए की दिहाड़ी की मांग कर सकते हैं चूँकि उन्हें कुछ रोजगार घर मे उपलब्ध है। यह तर्क सही होते हुए भी इसमे समस्या है। मुम्बई की कपड़ा मिलों मे श्री दत्ता सामन्त के नेतृत्व मे श्रमिको ने ऊँचे वेतन की मांग की थी। फलस्वरूप मुम्बई से यह उद्योग गुजरात को पलायन कर गया था। बंगाल से तमाम फैक्ट्रियाँ एवं केरल से श्रम सघन कृषि का पलायन हो चुका है। आशय है कि यदि पंजाब के किसानों को बिहार के श्रमिक नहीं मिलेंगे तो वे मशीनो का उपयोग बढ़ाएंगे अथवा श्रम–सघन फसलों को त्याग देंगे। दीर्घकाल मे श्रमिक अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी चलाते पाए जाएंगे।

रोजगार गारंटी के पक्ष मे दूसरा तर्क है कि इस मद से गाँव की क्रय शक्ति बढ़ रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मे तेजी आएगी। मेरी समझ से यह तर्क भ्रामक है। तेजी का अर्थ होता है उत्पादन एवं खपत के सुचक्र का स्थापित होना। जैसे किसान अंगूर उगाए और गाँव के लोग उन्हे खाएँ तो तेजी वास्तविक है। रोजगार गारंटी मे ऐसे उत्पादन मे वृद्धि नही होती है। जैसे प्रवासी बेटे द्वारा भेजी गई रकम से बढ़ी हुई खपत को 'विकास' नही कहा जा सकता है उसी प्रकार रोजगार गारंटी से मिली रकम को सच्ची आय नही कहा जा सकता है।

सरकार को चाहिए कि डॉ. फेल्प्स द्वारा बताई गई रोजगार सब्सिडी की ओर ध्यान दे। मनरेगा को सिंचाई एवं इंदिरा विकास जैसी योजनाओं से जोड़ने से सरकार पर परावलंबन बना रहता है। इस रकम को इस प्रकार से वितरित करना चाहिये कि किसान तथा उद्यमी के लिये श्रमिक को रोजगार देना हल्का पड़े। जैसे प्राविडेन्ट फन्ड का हिस्सा उद्यमी को सरकार के द्वारा दिया जा सकता है। अथवा साल के अंत में उद्यमी द्वारा सृजित किये गये रोजगार पर 500 रुपये प्रति श्रमिक प्रतिमाह की सब्सिडी उद्यमी को दी जा सकती है। ऐसा करने से श्रमिक को रोजगार देने में उद्यमी की लागत कम आयेगी और वह मशीन के स्थान पर ज्यादा श्रमिकों को रोजगार देगा अथवा हार्वेस्टर जैसी रोजगार भक्षक मशीनों पर टैक्स लगाया जा सकता है। ऐसा करने से टैक्स की वसूली भी बढ़ेगी और रोजगार भी उत्पन्न होंगे। मनरेगा के अंर्तगत सरकारी रोजगार उत्पन्न करने के स्थान पर बाजार में रोजगार उत्पन्न करने के प्रयास करने चाहिए। ❑

रोजगार गारंटी के पक्ष मे दूसरा तर्क है कि इस मद से गाँव की क्रय शक्ति बढ़ रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मे तेजी आएगी। मेरी समझ से यह तर्क भ्रामक है। तेजी का अर्थ होता है उत्पादन एवं खपत के सुचक्र का स्थापित होना। जैसे किसान अंगूर उगाए और गाँव के लोग उन्हे खाएँ तो तेजी वास्तविक है। रोजगार गारंटी मे ऐसे उत्पादन मे वृद्धि नही होती है। जैसे प्रवासी बेटे द्वारा भेजी गई रकम से बढ़ी हुई खपत को 'विकास' नही कहा जा सकता है उसी प्रकार रोजगार गारंटी से मिली रकम को सच्ची आय नही कहा जा सकता है।

कोयला नहीं सौर ऊर्जा है भविष्य

सबसे बड़ी बात यह है कि सौर ऊर्जा के निर्माण से पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता और इससे देश की बिजली की बढ़ती आवश्यकताओं को पर्यावरण पर किसी भी दुष्प्रभाव के बिना पूरा किया जा सकता है। आज भारत बिजली के उपभोग की दृष्टि से दुनिया के विकसित देशों से कहीं पीछे है। आज जहां भारत में प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग मात्र 574 किलोग्राम तेल के बराबर है, वहीं अमरीका में यह 7,069 किलोग्राम तेल के बराबर है। आमदनियां बढ़ने के साथ बिजली का उपभोग भी बढ़ेगा और उसकी आपूर्ति थर्मल पावर से करना संभव नहीं हो पाएगा।

■ डॉ. अश्विनी महाजन

'कोल ब्लाक' आवंटन के नाम पर कोयला घोटाले के बाद कोयले से बनने वाली बिजली पर संकट के चलते कोयले के भारी आयात और उसके बावजूद बड़ी तादाद में कोयले से बिजली बनाने वाली संयंत्रों की बंदी से देश में बिजली क्षेत्र में भारी संकट देखा जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और सरकार द्वारा कोल ब्लाक आवंटन से उभरे संकट से निपटने के लिए अध्यादेश जारी करने के बाद कोयला बिजली संयंत्रों की समस्या का आंशिक समाधान निकलता दिखाई दे रहा है, फिर भी कोयला बिजली का संकट बरकरार दिखाई दे रहा है।

गौरतलब है कि सरकार द्वारा लगभग 10 लाख करोड़ की लागत वाली स्वीकृत कोयला बिजली परियोजनाओं का निर्माण अभी लंबित है। सरकारी अध्यादेश के बाद जब कोयला ब्लाकों की नीलामी शुरू होगी तो ये परियोजनायें आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या ये परियोजनायें आर्थिक रूप से उपयुक्त हैं?

यह सही है कि वर्तमान में विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद कोयला, बिजली निर्माण का सबसे सस्ता विकल्प है। कई कारणों से भारत में बिजली निर्माण में कोयले के अधिकाधिक उपयोग की वकालत भी की जाती है। कोयले के भंडार की दृष्टि से भारत दुनिया का तीसरा देश है। यही नहीं भारत में कोयले का खनन, परिवहन और इस्तेमाल बहुत आसान है। लेकिन भविष्य में कोयले से बिजली निर्माण कई कारणों से कठिन हो सकता है। सबसे पहला कारण यह है कि ग्लोबल वार्मिंग के खतरों के चलते भारत पर कोयले से बिजली निर्माण पर अंकुश लगाने का दबाव बन सकता है। हाल ही में अमरीका और चीन ने पर्यावरण के मुद्दे पर अपने विवादों को सुलझाते हुए एक समझौता भी किया है, जिसके अनुसार चीन 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की अधिकतम सीमा पर पहुंचने के बाद उसे घटाना शुरू करेगा, ऐसे में भारत पर भी यह दबाव बनना शुरू होगा कि वह अपने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करे। गौरतलब है कि कोयले से बिजली निर्माण में भारी मात्रा में कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। थर्मल बिजली घर दशकों तक काम करते हैं, इसलिए आने वाले कुछ वर्षों में ही इन बिजली घरों को बंद करने के लिए दबाव बन सकता है। यही नहीं इस कारण से नए बिजली घरों के लिए वित्त की उपलब्धता में भी रूकावट आ सकती है।

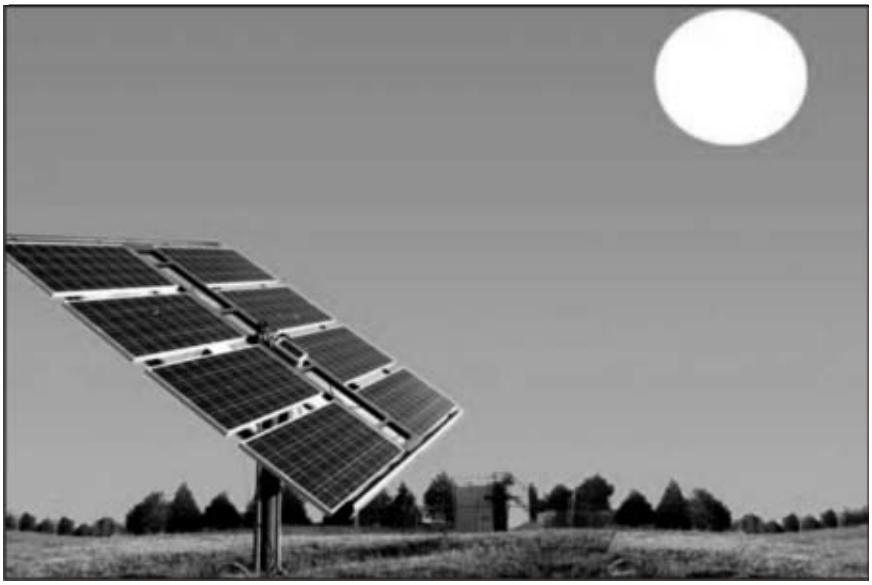

दूसरा कारण यह है कि कोयले की लागत भविष्य में बढ़ सकती है, क्योंकि खनन की लागत और परिवहन की लागत

दोनों में बढ़ने की प्रवृत्ति है। अगर सरकार द्वारा कोयले की विवाद सुलझने से कुछ फर्क भी पड़ेगा तो भी अधिक से अधिक कोयले की लागत कुछ समय तक स्थिर हो सकती है। कई कारणों से जब पिछले कुछ समय से कोयले की आपूर्ति बाधित हुई, तो उसके कारण भारत को बड़ी मात्रा में कोयला आयात करना पड़ा, जिसके कारण भारत का भुगतान शेष का घाटा जो पहले से ही बहुत ज्यादा था, और बढ़ने लगा और एक समय रूपया कमजोर होकर 69 रूपए प्रति डालर के आसपास पहुंच गया, जिससे देश में कीमतों में भारी वृद्धि देखने को मिली।

तीसरे, कोयला थर्मल बिजली घरों के लिए पानी की आवश्यकता भी ज्यादा होती है और पानी की कमी भी नए बिजली घरों को चलने में रूकावट डाल सकती है।

सौर ऊर्जा से है टक्कर

यह बात किसी से छुपी नहीं है कि आज थर्मल ऊर्जा प्लांट की लागत 4 से 5 करोड़ रूपए प्रति मेगावाट है, जबकि सौर ऊर्जा संयंत्र की लागत सात करोड़ रूपए प्रति मेगावाट है। यह सही है कि सोलर पावर प्लांट में बिजली दिन के समय ही पैदा हो सकती है, लेकिन सौर ऊर्जा की खासियत यह है कि इससे बिजली बिल्कुल मुफ्त पैदा होती है। जहां बहुत छोटी कोयला परियोजनायें लगाना संभव नहीं है, सौर ऊर्जा संयंत्र किसी भी आकार में लगाये जा सकते हैं। अब सौर ऊर्जा का संप्रेषण भी ग्रिड में होना संभव हो रहा है। ऐसे में सौर ऊर्जा सीधेतौर पर थर्मल ऊर्जा को टक्कर देने की स्थिति में आ जायेगी।

आज देश में बिजली का वितरण सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। बिजली

यह बात किसी से छुपी नहीं है कि आज थर्मल ऊर्जा प्लांट की लागत 4 से 5 करोड़ रूपए प्रति मेगावाट है, जबकि सौर ऊर्जा संयंत्र की लागत सात करोड़ रूपए प्रति मेगावाट है। यह सही है कि सोलर पावर प्लांट में बिजली दिन के समय ही पैदा हो सकती है, लेकिन सौर ऊर्जा की खासियत यह है कि इससे बिजली बिल्कुल मुफ्त पैदा होती है। जहां बहुत छोटी कोयला परियोजनायें लगाना संभव नहीं है, सौर ऊर्जा संयंत्र किसी भी आकार में लगाये जा सकते हैं।

की चोरी हो या वितरण में अकुशलताएं ट्रांसमिशन और वितरण में भारी मात्रा में बिजली बर्बाद होती है। ऐसे में घरों की छतों पर सोलर पैनल लगा कर विकेन्द्रित स्तर पर बिजली उपलब्ध कराई जा सकती है, जिससे वितरण की अकुशलताएं समाप्त हो जाती हैं। यही नहीं व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी अपनी बिजली की आवश्यकता की पूर्ति सौर ऊर्जा से कर सकते हैं।

जिस प्रकार से थर्मल बिजली घरों से ग्रिड में बिजली संप्रेषित की जाती है, उसी प्रकार से सौर ऊर्जा भी संप्रेषित करना संभव है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे प्रदेशों में तो नेट मीटर प्रणाली भी शुरू हो गई है, जिसके अनुसार सोलर पैनल से बिजली निर्माण कर ग्रिड में भेजी जा सकती है और आवश्यकता पड़ने पर ग्रिड से बिजली ली जा सकती है और उपभोक्ता को निवल बिजली की लागत देनी पड़ती है।

एक ओर परंपरागत तरीके से बिजली निर्माण लगातार महंगा होता जा रहा है, तो दूसरी ओर सौर ऊर्जा संयंत्रों की लागत घटती जा रही है। पूर्व में सोलर पैनल की प्रति वाट की लागत जहां 5 डालर तक थी, अब वह 1 डालर से भी कम पर आ गई है, वहीं परंपरागत बिजली घरों की पूंजी लागत लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में वर्तमान में यदि पूंजी लागत के हिसाब से सौर ऊर्जा की निर्माण लागत परंपरागत ऊर्जा से थोड़ा ज्यादा भी हो, तो भी भविष्य में वो परंपरागत ऊर्जा की लागत की तुलना में कम होने वाली है। साथ ही दूर–दराज के क्षेत्रों में सौर ऊर्जा एक सस्ता विकल्प है, क्योंकि ऐसे में वितरण के खर्चे बच जाते हैं।

सबसे बड़ी बात यह है कि सौर ऊर्जा के निर्माण से पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता और इससे देश की बिजली की बढ़ती आवश्यकताओं को पर्यावरण पर किसी भी दुष्प्रभाव के बिना पूरा किया जा सकता है। आज भारत बिजली के उपभोग की दृष्टि से दुनिया के विकसित देशों से कहीं पीछे है। आज जहां भारत में प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग मात्र 574 किलोग्राम तेल के बराबर है, वहीं अमरीका में यह 7,069 किलोग्राम तेल के बराबर है। आमदनियां बढ़ने के साथ बिजली का उपभोग भी बढ़ेगा और उसकी आपूर्ति थर्मल पावर से करना संभव नहीं हो पाएगा।

आज जरूरत इस बात की है कि पूर्व में इन थर्मल पावर परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई थी, बदलती परिस्थितियों में उसपर पुर्नविचार हो और भविष्य में सौर, पवन ऊर्जा और अन्य गैर परंपरागत स्रोतों को अधिकतम प्राथमिकता देते हुए भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। ❑

धरती को गर्म होने से बचाने पर सहमति

जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण के लिए वित्तीय स्रोत कैसे हासिल होंगे और धनराशि संकलन की प्रक्रिया क्या होगी? हालांकि अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने जो बयान दिया है, उसके चलते अनुमान लगाना सहज है कि अमेरिका जैसे देश जलवायु परिवर्तन के आसन्न संकट को देखते हुए नरम रुख अपनाने को तैयार हैं। केरी ने कहा है कि 'गर्म होती धरती को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन पर समझौते के लिए अब विकल्पों की तलाश एक भूल होगी, लिहाजा इसे तत्काल लागू करना जरूरी है।'

■ प्रमोद भार्गव

पेरू के शहर लीमा में 196 देश आखिरकार नियंत्रण कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए राष्ट्रीय संकल्पों के साथ, आम सहमति के मसौदे पर राजी हो गए। इसमें भारत की चिंताओं का पूरा ध्यान रखा गया है। इससे अब जलवायु संकट से निपटने के मुद्दे पर पेरिस में होने वाले महत्वाकांक्षी और बंधनकारी समझौते का मार्ग खुल गया है।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में इस संकल्प पर सहमति से तीन दशक पुराना वह गतिरोध भी टूट गया, जो अमीर और गरीब देशों के बीच बना हुआ था। अब 2015 के अनुबंध के लिए व्यापक खाका पेरिस में तैयार होगा। इस पर स्वीकृति के बाद यह मसौदा 2020 तक संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों पर प्रभावशील रहेगा। मसविदे की मंजूरी को पेरिस में नियंत्रण जलवायु परिवर्तन करार तक पहुंचने की दिशा में बड़े कदम को आगे बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि इसमें भारत समेत अन्य विकासशील देशों की सलाह मानते हुए मसौदे में अतिरिक्त पैरा जोड़ा गया है। इसमें उल्लेख है कि जलवायु परिवर्तन से जुड़े कॉर्बन उत्सर्जन कटौती के प्रावधानों को आर्थिक बोझ उठाने की क्षमता के आधार पर देशों का वर्गीकरण किया जाएगा जो हानि और क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर आधारित होगा। अनेक छोटे द्वीपीय देशों ने इस सिद्धांत को लागू करने के अनुरोध पर जोर दिया था। लिहाजा अब धन देने की क्षमता के आधार पर देश कॉर्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपाय करेंगे। पहले के मसौदे के परिप्रेक्ष्य में भारत और चीन की चिंता यह थी कि इससे धनी देशों की बनिस्बत उनके जैसी अर्थव्यवस्थाओं पर ज्यादा बोझ आएगा।

यह आशंका बाद में ब्रिटेन के अखबार 'द गार्जियन' के एक खुलासे से सही भी साबित हो गई थी।

मसौदे में विकासशील देशों को हिदायत दी गई थी कि वे 2050 तक प्रति व्यक्ति 1.44 टन कार्बन से अधिक उत्सर्जन नहीं करने के लिए सहमत हों, जबकि विकसित देशों के लिए यह सीमा महज 2.67 टन तय की गई थी। इसके बाद कॉर्बन उत्सर्जन की सीमा तय करने को लेकर गतिरोध चला आ रहा था। ताजा प्रारूप में तय किया गया है कि जो

भारत के कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन कहते हैं कि यदि धरती के तापमान में एक डिग्री सेल्शियस की वृद्धि हो गई तो गेहूं का उत्पादन 70 लाख टन तक घट सकता है। लिहाजा औद्योगिक क्रांति के समय से धरती के तापमान में जो बढ़ोत्तरी हुई है, उसे 2 डिग्री सेल्शियस तक घटाया जाए। असली परिणाम पेरिस में 2015 में होने वाले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में सामने आएंगे।

देश जितना कॉर्बन उत्सर्जन करेगा, उसी अनुपात में नियंत्रण के उपाय करेगा।

ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में फिलहाल चीन शीर्ष, अमेरिका दूसरे और भारत तीसरे पायदान पर है। नये प्रारूप को 'जलवायु कार्रवाई का लीमा आह्वान' नाम दिया गया है। पर्यावरण सुधार के इतिहास में इसे एक ऐतिहासिक समझौते के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि इससे 2050 तक कार्बन उत्सर्जन में 20 प्रतिशत तक कमी लाने की उम्मीद बढ़ी है।

यह पहला अवसर है, जब उत्सर्जन के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ चुके चीन, भारत, ब्राजील और उभरती अन्य अर्थव्यवस्थाएं कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए तैयार हुईं हैं। जो सहमति बनी है, उसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश अपने कार्बन उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य को पेश करेंगे। इसकी समय सीमा 31 मार्च 2015 तय है।

यह सहमति इसलिए बन पाई क्योंकि एक तो संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत टॉड स्टर्न ने उन मुद्दों को पहले समझा, जिन पर विकसित देश समझौता न करने के लिए बाधा बन रहे थे। इनमें प्रमुख बाधा थी कि विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्रों को हरित प्रौद्योगिकी की स्थापना संबंधी तकनीक और आर्थिक मदद दें। दूसरे, विकसित देश सभी देशों पर एक ही सशर्त आचार संहिता थोपना चाहते थे, जबकि विकासशील देश इसके विरोध में थे।

दरअसल विकासशील देशों का तर्क था कि विकसित देश अपना औद्योगिक–प्रौद्योगिक प्रभुत्व व आर्थिक समृद्धि बनाए रखने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा ये देश व्यक्तिगत उपभोग के लिए भी ऊर्जा का बेतहाशा दुरुपयोग करते हैं। इसलिए खर्च के अनुपात में ऊर्जा कटौती की पहल भी इन्हें ही करनी चाहिए। विकासशील देशों की चिंता वाजिब थी, क्योंकि वे यदि किसी प्रावधान के चलते ऊर्जा के प्रयोग पर अकुंश लगा देंगे तो उनकी समृद्ध होती अर्थव्यवस्था की बुनियाद ही दरक जाएगी। भारत और चीन के लिए यह चिंता महत्वपूर्ण थी, क्योंकि दोनों, उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। चूंकि सहमति मोटे तौर पर हुई है और पेरिस में ही समझौते का स्पष्ट और बाध्यकारी प्रारूप सामने आएगा, लिहाजा अनेक सवालों के जवाब फिलहाल अनुत्तरित हैं।

ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में फिलहाल चीन शीर्ष, अमेरिका दूसरे और भारत तीसरे पायदान पर है। नये प्रारूप को 'जलवायु कार्रवाई का लीमा आह्वान' नाम दिया गया है। पर्यावरण सुधार के इतिहास में इसे एक ऐतिहासिक समझौते के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि इससे 2050 तक कार्बन उत्सर्जन में 20 प्रतिशत तक कमी लाने की उम्मीद बढ़ी है।

इस मसौदे में इस सवाल का कोई उत्तर नहीं है कि जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण के लिए वित्तीय स्रोत कैसे हासिल होंगे और धनराशि संकलन की प्रक्रिया क्या होगी? हालांकि अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने जो बयान दिया है, उसके चलते अनुमान लगाना सहज है कि अमेरिका जैसे देश जलवायु परिवर्तन के आसन्न संकट को देखते हुए नरम रुख अपनाने को तैयार हैं। केरी ने कहा है कि 'गर्म होती धरती को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन पर समझौते के लिए अब विकल्पों की तलाश एक भूल होगी, लिहाजा इसे तत्काल लागू करना जरूरी है।'

अमेरिका को यह दलील देने की जरूरत नहीं थी, यदि वह और दुनिया के अन्य अमीर देश संयुक्त राष्ट्र की 1992 में हुई जलवायु परिवर्तन संबंधित पहली संधि के प्रस्तावों को मानने के लिए तैयार हो गए होते? 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल में भी यह सहमति बनी थी कि कॉर्बन उत्सर्जन पर नियंतग्रसभी देशों का दायित्व है, साथ ही उन देशों की ज्यादा जवाबदेही बनती है जो ग्रीन हाउस गैसों का अधिकतम उत्सर्जन करते रहे हैं। लेकिन विकसित देशों ने इस प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया था। वैज्ञानिकों की मानें तो 2100 तक धरती के तापमान में वृद्धि नहीं रोकी गई तो हालात नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। क्योकि इसका सबसे ज्यादा असर खेती पर पड़ रहा है। बताते हैं कि एशिया के किसानों को कृषि को अनुकूल बनाने के लिए प्रति वर्ष करीब पांच अरब डॉलर अतिरिक्त खर्च उठाना होगा। अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान के अनुसार, यही स्थिति रही तो एशिया में एक करोड़ 10 लाख, अफ्रीका में एक करोड़ और शेष दुनिया में 40 लाख बच्चों को भूखा रहना होगा। भारत के कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन कहते हैं कि यदि धरती के तापमान में एक डिग्री सेल्शियस की वृद्धि हो गई तो गेहूं का उत्पादन 70 लाख टन तक घट सकता है। लिहाजा औद्योगिक क्रांति के समय से धरती के तापमान में जो बढ़ोत्तरी हुई है, उसे 2 डिग्री सेल्शियस तक घटाया जाए। असली परिणाम पेरिस में 2015 में होने वाले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में सामने आएंगे। ❑

नाकाम देश की डगर पर पाकिस्तान

पाकिस्तान को जो विरोधाभास डस रहा है वह दरअसल इतना स्पष्ट और व्यापक हो गया है कि यह देश अब असफल राष्ट्र के रूप में नजर आने लगा है। आखिरकार पाकिस्तान एक अर्द्ध–असफल देश के रूप में पहले ही उभर चुका है। पाकिस्तानी सेना ने जिहादी आतंकियों को सहायता और सुरक्षित ठिकाना उपलब्ध कराने की जो रणनीति बनाई है उसी का नतीजा है कि तालिबान के दो रूप उभर आए हैं। एक अफगान तालिबान जो पाक सेना के समर्थन और संरक्षण से फले–फूले और दूसरे पाकिस्तानी तालिबान, जो पाक सेना के दुश्मन बनकर उभरे हैं।

■ ब्रह्मा चेलानी

जब विश्व का प्रमुख आतंकवाद प्रायोजक देश खुद आतंकवाद का शिकार हो जाता है तो इससे समस्याएं और बढ़ती ही हैं। फिर भी घर में आतंकवाद से जूझना और उसी समय सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने की पटकथा लिखना पाकिस्तान को दुनिया के लिए अबूझ पहेली बनाता है। घरेलू आतंकवाद पाकिस्तानी सेना प्रतिष्ठान द्वारा 1980 के दशक से क्रमबद्ध तरीके से जिहादी आतंकियों को बढ़ावा देने का सीधा नतीजा है। सेना प्रतिष्ठान ने भारत और अफगानिस्तान के संदर्भ में इसे अपनी नीति के रूप में इस्तेमाल किया है। 2011 में तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने बड़े बेबाक तरीके से पाकिस्तानी अधिकारियों से कहा था कि आप अपने घर के आंगन में सांप पालकर यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे आपको काटेंगे नहीं। हिलेरी क्लिंटन ने चेतावनी दी थी कि अंततः वे सांप अपना काम करेंगे ही।

पेशावर में जबरदस्त और दिल दहला देने वाले आतंकी हमले के फलस्वरूप देश के भीतर मची चीख–पुकार के बावजूद पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई अभी आतंकवाद के मामले में अपना रुख बदलने के लिए तैयार नजर नहीं आतीं। सीमा पार अपने

मिशन के लिए लश्कर–ए–तैयबा से लेकर हक्कानी नेटवर्क तक आतंकी समूहों को प्रायोजित करना पाकिस्तानी जनरलों के डीएनए का हिस्सा बन चुका है। सेना प्रतिष्ठान, जिहादियों और कट्टरपंथी तत्वों का नापाक गठबंधन संभवतः पाकिस्तान को टेरेरिस्तान बनाए रखेगा। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने आखिरकार सार्वजनिक रूप से यह कह ही दिया कि पाकिस्तान को उन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है जो उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं।

पाकिस्तान को जो विरोधाभास डस रहा है वह दरअसल इतना स्पष्ट और व्यापक हो गया है कि यह देश अब असफल राष्ट्र के रूप में नजर आने लगा है। आखिरकार पाकिस्तान एक अर्द्ध–असफल देश के रूप में पहले ही उभर चुका है। पाकिस्तानी सेना ने जिहादी आतंकियों को सहायता और सुरक्षित ठिकाना उपलब्ध कराने की जो रणनीति बनाई है उसी का नतीजा है कि तालिबान के दो रूप उभर आए हैं। एक अफगान

लश्कर–ए–तैयबा का संस्थापक हाफिज सईद अभी भी पाकिस्तानी सेना का चहेता बना हुआ है। उसका सार्वजनिक जीवन अमेरिका द्वारा उसके सिर पर रखे गए एक करोड़ डालर के इनाम का मुंह चिढ़ा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने भी उसे आतंकवादियों की सूची में शामिल किया है, लेकिन पाकिस्तान में वह बेरोकटोक खुलेआम घूम रहा है। पाकिस्तान एक अन्य अंतरराष्ट्रीय अपराधी दाऊद इब्राहीम को संरक्षण दिए हुए है।

तालिबान जो पाक सेना के समर्थन और संरक्षण से फले–फूले और दूसरे पाकिस्तानी तालिबान, जो पाक सेना के दुश्मन बनकर उभरे हैं।

लश्कर–ए–तैयबा का संस्थापक हाफिज सईद अभी भी पाकिस्तानी सेना का चहेता बना हुआ है। उसका सार्वजनिक जीवन अमेरिका द्वारा उसके सिर पर रखे गए एक करोड़ डालर के इनाम का मुंह चिढ़ा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने भी उसे आतंकवादियों की सूची में शामिल किया है, लेकिन पाकिस्तान में वह बेरोकटोक खुलेआम घूम रहा है। पाकिस्तान एक अन्य अंतरराष्ट्रीय अपराधी दाऊद इब्राहीम को संरक्षण दिए हुए है। इसके बावजूद अफगानिस्तान सरकार से पूछे बिना पाकिस्तान के सेना प्रमुख राहिल शरीफ और आईएसआई के मुखिया रिजवान अख्तर पेशावर हमले के बाद काबुल भागे ताकि राष्ट्रपति अशरफ गनी और अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन से तहरीक–ए–तालिबान के मुखिया मुल्ला फजलुल्ला को अपने देश प्रत्यर्पित करने के लिए कह सकें।

और विंडबना देखिए। पाकिस्तानी जनरल टीटीपी से निपटने के लिए अफगानिस्तान सरकार और अमेरिका नीत सैन्य गठबंधन से मदद मांगते हैं, लेकिन अफगान तालिबान को भरपूर मदद देने में संकोच नहीं कर रहे हैं।

पाकिस्तान में अफगान आतंकियों को सुरक्षित ठिकाना मिला हुआ है। अफगान तालिबान का सरगना मुल्ला मुहम्मद उमर और दूसरे प्रमुख आतंकी पाकिस्तान में ही छिपे हैं। यह अल कायदा नहीं अफगान तालिबान ही हैं जो गुरिल्ला हमलों में अफगान और नाटो सैनिकों को मार रहे हैं। पाकिस्तान को दोहरा चेहरा मुंबई हमले के मुख्य अभियुक्त जकी–उर–रहमान लखवी के मामले में भी सामने आया। लखवी पाकिस्तान में सरकारी आतंकवादी है। पाकिस्तान न केवल मुंबई हमले के गुनहगार माने जाने वाले सात पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ मुकदमा चलाने में असफल रहा है, बल्कि उसने उनमें से छह की रिहाई का रास्ता भी तैयार कर दिया है।

पाकिस्तानी अधिकारियों के दोहरे रवैये का एक अन्य प्रमाण यह है कि उन्होंने हाल में हाफिज सईद की एक रैली का बंदोबस्त किया, जिसमें उसने खुद को पाकिस्तानी लोगों के मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया। अधिकारियों ने सिंध से हाफिज सईद की रैली स्थल तक लोगों को ले जाने के लिए विशेष ट्रेनें चलवाईं। इसी रोशनी में नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्त के इस बयान पर हैरत नहीं होनी चाहिए कि हाफिज सईद पाकिस्तानी नागरिक है और इस आधार पर वह कहीं भी आने–जाने के लिए स्वतंत्र है। वह कहते हैं कि इसमें समस्या क्या है? उन्हें बताया जाना चाहिए कि समस्या यह है कि हाफिज सईद पाकिस्तान के सरकारी आतंकवाद को नेतृत्व कर रहा है। भारत को यह सोचना ही नहीं चाहिए था कि पाकिस्तान मुंबई हमले के गुनहगारों को कानून के कठघरे में लाएगा। आखिर उसी ने तो इस हमले की साजिश रचने वाले और उसे अंजाम देने वालों को तैयार किया था। प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह पाकिस्तान के साथ अबाधित बातचीत पर जोर देते रहे और इसके बदले में भारत को एक के बाद एक घाव मिलते रहे। इसकी तुलना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को किनारे कर एक अच्छा काम किया है। यह अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के रुख से एकदम अलग है। अगर मोदी भी वाजपेयी के पाकिस्तान प्रेम की राह पर आगे बढ़ते तो वह कूटनीति में इतना प्रभावी असर नहीं डाल पाते।

यह उल्लेखनीय है कि भारत ने इसके बावजूद पाकिस्तान के साथ पूर्ण कूटनीतिक संबंध बनाए रखे हैं कि इस्लामाबाद लगातार उसके खिलाफ युद्ध छेड़े हुए है। केवल इतना ही नहीं, भारत ने एकतरफा तरीके से पाकिस्तान को व्यापार के मामले में सर्वाधिक तरजीही देश का दर्जा भी दे रखा है। **भारत 1960 के सिंध जल समझौते पर भी अमल कर रहा है जिसे दुनिया के सर्वाधिक उदार जल बंटवारे समझौते के रूप में देखा जाता है। इसके तहत छह नदियों के जल का 80 प्रतिशत भाग पाकिस्तान को मिलता है। जब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ बिना रुके अपरंपरागत युद्ध छेड़े हुए है तब तक नई दिल्ली को बातचीत अथवा अन्य किसी उदारता के रूप में उसे पुरस्कृत नहीं करना चाहिए।** वैसे भी मोदी के सामने पाकिस्तान को लेकर यह दुविधा मौजूद है कि उन्हें किससे बातचीत करनी चाहिए। सेना के दबाव में घिरे नवाज शरीफ एक तोते की तरह हैं जो सेना के जनरलों द्वारा सिखाई गई भाषा बोलते हैं। पाकिस्तानी आतंकवाद पर दुनिया का ध्यान खींचने की पहल के साथ भारत के लिए सबसे अच्छी नीति यही होगी कि वह पाकिस्तान को तब तक हाशिये पर रखे जब तक यह देश एक पड़ोसी के रूप में सामान्य व्यवहार करना न सीख ले। कोई गलती मत कीजिए, पाकिस्तानी जनरल भारत के खिलाफ छद्म युद्ध चलाने की अपनी रणनीति में अभी भी थके नहीं हैं। ❑

कचरे को कम करने और निबटान का प्रबंधन हो

18 दिसंबर, 2014 को दिल्ली हाईकोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो दिल्ली जल्दी ही कचरे के ढेर में तब्दील हो जाएगी। दिल्ली में अभी तक कोई दो करोड़ मीटिक टन कचरा जमा हो चुका है और हर दिन आठ हजार मीटिक टन कूड़ा पैदा हो रहा है। इसके निस्तारण के लिए कहीं जमीन भी नहीं बची है।

■ पंकज चतुर्वेदी

इन दिनों प्रधानमंत्री से लेकर सरकारी अफसरों तक ने झाड़ू थाम ली है– कूड़ा साफ करने के लिए। आम लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाने के लिए यह अच्छा कदम है, लेकिन हमें यह भी विचार करना होगा कि आखिर कूड़ा कम कैसे हो, क्योंकि कूड़ा घर–मुहल्ले से निकाल बाहर करना समस्या का निदान नहीं है, असल समस्या तो उसके बाद शुरू होती है। शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा जब हमारे देश में किसी ना किसी कस्बे–शहर में कूड़े को ले कर आम लोगों का आक्रोश या फिर अपने घर–मुहल्ले के करीब कचरे का डंपिंग ग्राउंड ना बनने देने के आंदोलन ना होते हों। लोगों की बढ़ती आय व जीवनस्तर ने कूड़े को बढ़ाया है और अब कूड़ा सरकार व समाज दोनों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। भले ही हम कूड़े को अपने पास फटकने नहीं देना चाहते हों, लेकिन विडंबना है कि यह कूड़ा हमारी गलतियों या बदलती आदतों के कारण ही दिन–दूना, रात–चौगुना बढ़ रहा है।

बीते माह 18 दिसंबर, 2014 को दिल्ली हाईकोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो दिल्ली जल्दी ही कचरे के ढेर में तब्दील हो जाएगी। दिल्ली में अभी तक कोई दो करोड़ मीटिक टन कचरा जमा हो चुका है और हर दिन आठ हजार मीटिक टन कूड़ा पैदा हो रहा है। इसके निस्तारण के लिए कहीं जमीन भी नहीं बची है। मौजूदा लैंडफिल साइट डेढ़ सौ फुट से ऊंची हो गई हैं और उस पर अब अधिक कचरा नहीं डाला जा सकता। शायद यही हाल देश के हर छोटे बडे शहर–कस्बों के हैं। कई जगह लापरवाही व चालाकी से जल संसाधनों, जैसे समुद्र, तालाब, नहर, नदी, जोहड़ में कूड़ा डाल कर लोग अपने कर्तव्य की इतिश्री कर रहे हैं, यह जाने बगैर कि वे कितने बड़े खतरे को न्यौता दे रहे हैं।

नेशनल इनवायर्नमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर के मुताबिक देश में हर साल 44 लाख टन खतरनाक कचरा निकल रहा है। इसमें आधे से अधिक कागज, लकड़ी या पुट्ठा होता है, जबकि 22 प्रतिशत कूड़ा–कबाड़ा, घरेलू गंदगी होती है। कचरे का निबटान पूरे देश के लिए समस्या बनता जा रहा है। दिल्ली नगर निगम कई–कई सौ किलोमीटर दूर तक दूसरे राज्यों में कचरे का डंपिंग ग्राउंड तलाश रही है। जरा सोचें कि इतने कचरे को एकत्र करना, फिर उसे दूर तक ढो कर ले जाना कितना महंगा व जटिल काम है।

यह सरकार भी मानती है कि देश के कुल कूड़े का महज पांच प्रतिशत का ईमानदारी से निबटान हो पाता है। राजधानी दिल्ली का तो 57 प्रतिशत कूड़ा परोक्ष या अपरोक्ष रूप से यमुना में बहा दिया जाता है। कागज, प्लास्टिक, धातु जैसा बहुत–सा कूड़ा तो कचरा बीनने वाले जमा कर रिसाइकलिंग वालों को बेच देते हैं। सब्जी के छिलके, खाने–पीने की चीजें, मरे हुए जानवर आदि कुछ समय में सड़–गल जाते हैं। इसके बावजूद ऐसा बहुत कुछ

बच जाता है, जो हमारे लिए विकराल संकट का रूप लेता जा रहा है।

असल में कचरे को बढ़ाने का काम समाज ने ही किया है। अभी कुछ साल पहले तक स्याही वाला फाउंटेन पेन होता था, उसके बाद ऐसे बाल–पेन आए, जिनकी केवल रिफील बदलती थी। आज बाजार मे ऐसे पेनों की भरमार है जो खत्म होने पर फेंक दिए जाते हैं। देश की बढ़ती साक्षरता दर के साथ ऐसे पेनों का इस्तेमाल और उसका कचरा बढ़ता गया। जरा सोचें कि तीन दशक पहले एक व्यक्ति साल भर में बामुश्किल एक पेन खरीदता था और आज औसतन हर साल एक आदमी एक दर्जन पेनों की प्लास्टिक का कचरा बढ़ा रहा है।

ठीक इसी तरह शेविंग–किट में पहले स्टील या उससे पहले पीतल का रेजर होता था, जिसमें केवल ब्लेड बदले जाते थे और आज हर हफ्ते कचरा बढ़ाने वाले 'यूज एंड थ्रो' वाले रेजर बाजार में मिलते हैं। अभी कुछ साल पहले तक दूध भी कांच की बोतलों में आता था या फिर लोग अपने बर्तन लेकर डेयरी जाते थे। आज दूध भी प्लास्टिक की थैली में मिल रहा है। इसके अलावा पीने का पानी भी कचरा बढ़ाने वाली बोतलों में मिल रहा है। अनुमान है कि पूरे देश में हर रोज चार करोड़ दूध की थैलियां और दो करोड़ पानी की बोतलें कूड़े में फेंकी जाती हैं। मेकअप का सामान, घर में होने वाली दावत में डिस्पोजेबल बरतनों का प्रचलन, बाजार से सामान लाते समय पोलीथीन की थैलियां लेना, हर छोटी–बड़ी चीज की पैकिंग ऐसे ही ना जाने कितने तरीके हैं, जिनसे हम कूड़ा–कबाड़ा बढ़ा रहे हैं। घर में सफाई और खुशबू के नाम पर बढ़ रहे साबुन व अन्य रसायनों के चलन ने

राजधानी दिल्ली में कचरे का निबटान अब हाथ से बाहर निकलती समस्या बनता जा रहा है। अभी हर रोज आठ हजार मीट्रिक टन कचरा उगलने वाले महानगर में 2021 तक 16 हजार मीट्रिक टन कचरा होगा।

भी अलग किस्म के कचरे को बढ़ाया है। और सबसे खतरनाक कूड़ा बैटरियों, कंप्यूटरों और मोबाइल का है। इसमें पारा, कोबाल्ट और न जाने कितने किस्म के जहरीले रसायन होते हैं। लेड, पारा और आर्सेनिक जैसे विषैले तत्व होते हैं। शेष हिस्सा प्लास्टिक होता है। इसमें से अधिकांश सामग्री गलती सड़ती नहीं है और जमीन में दबकर मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित करने और भूगर्भ जल को जहरीला बनाने का काम करती है। ठीक इसी तरह का जहर बैटरियों व बेकार मोबाइलों से भी उपज रहा है।

राजधानी दिल्ली में कचरे का निबटान अब हाथ से बाहर निकलती समस्या बनता जा रहा है। अभी हर रोज आठ हजार मीट्रिक टन कचरा उगलने वाले महानगर में 2021 तक 16 हजार मीट्रिक टन कचरा होगा। दिल्ली के अपने कूड़ा ढलाव पूरी तरह भर गए हैं और आसपास 100 किलोमीटर दूर तक कोई नहीं चाहता कि उनके गांव–कस्बे में कूड़े का अंबार लगे। कहने को दिल्ली दिल्ली में दो साल पहले पोलीथीन की थैलियों पर रोक लगाई जा चुकी है, लेकिन आज भी प्रतिदिन 583 मीट्रिक टन कचरा प्लास्टिक का ही है। इलेक्ट्रॉनिक और मेडिकल कचरा तो यहां की जमीन और जल को जहरीला बना ही रहा है।

कूड़ा अब नए तरह की आफत बन रहा है, सरकार उसके निबटान के लिए तकनीकी व अन्य प्रयास भी कर रही है, लेकिन असल में कोशिश तो कचरे को कम करने की होना चाहिए। प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल, पुराने कंप्यूटर व मोबाइल के आयात पर रोक तथा बेकार उपकरणों को निबटाने के लिए उनके विभिन्न अवयवों को अलग करने की व्यवस्था करनी होगी।

कूड़ा अब नए तरह की आफत बन रहा है, सरकार उसके निबटान के लिए तकनीकी व अन्य प्रयास भी कर रही है, लेकिन असल में कोशिश तो कचरे को कम करने की होना चाहिए। प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल, पुराने कंप्यूटर व मोबाइल के आयात पर रोक तथा बेकार उपकरणों को निबटाने के लिए उनके विभिन्न अवयवों को अलग करने की व्यवस्था करनी होगी। सामान की मरम्मत करने वाले हाथों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने और उन्हें मदद करने से उपकरणों को कंडम कर फेंकने की प्रवृति पर रोक लग सकती है।

बिजली के घरेलू उपकरणों से लेकर वाहनों के नकली व घटिया पार्ट्स की बिक्री पर कड़ाई भी कचरे को रोकने में मददगार होगी। स्तरीय उपकरण ज्यादा चलते हैं व उनके कबाड़ होने की गति कम होती है। सबसे बड़ी बात उच्च होती जीवनशैली में कचरा–नियंत्रण और उसके निबटान की शिक्षा स्कूली स्तर पर अनिवार्य बनाना जरूरी है। कचरे को कम करने, उसके निबटान का प्रबंधन आदि के लिए दीर्घकालीन योजना, जागरूकता और शिक्षा उतना ही जरूरी है, जितना बिजली, पानी और स्वास्थ्य के बारे में सोचना।❑

पेटेंट की जंग में पिछड़ रहे है हम

गौरतलब है कि जर्मनी की उक्त कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर दावा किया है कि खादी यूरोप के बाजारों के लिए एक खास तरह का ब्रांड है और वहां इसके उत्पाद सिर्फ इसी कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अभी यह कंपनी खादी के नाम पर सिर्फ शैम्पू, तेल, साबुन और इसी तरह के हर्बल उत्पाद बेच रही है, लेकिन भविष्य में यह खादी कपड़े भी बनाना और बेचना शुरू कर सकती है। ऐसे में भारतीय खादी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

■ अभिषेक कुमार सिंह

बौद्धिक अधिकारों यानी पेटेंट के मामले में एक आम धारणा है कि इनका उल्लंघन भारत जैसे पूरब के देश करते हैं और इसका खमियाजा अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे विकसित पश्चिमी मुल्कों को उठाना पड़ता है। बेशक, आविष्कारों और नवाचारों (इन्वेंशन–इनोवेशन) के कई संदर्भ पश्चिमी देशों से जुड़े हैं, पर पूरब की जमीन इनसे खाली नहीं रही है। एक वक्त था जब भारत की महिमा ज्ञान गुरु के रूप में थी, फर्क यह रहा कि हमने अपने ज्ञान के बाजारीकरण और पेटेंटीकरण की कोशिश नहीं की। पर आज के नियंत्रण अर्थव्यवस्था के युग में इसकी कितनी अधिक जरूरत है– यह जर्मनी में की जा रही एक कोशिश से स्पष्ट हो रहा है और साफ हो रहा है कि हमें अपने ज्ञान और ठेठ भारतीय उत्पादों के पेटेंट बचाने की कितनी अधिक जरूरत है। यह मामला जर्मनी की एक कंपनी– खादी नेचरप्रोडक्ट से जुड़ा है। इस कंपनी ने कुछ अरसे से यूरोपीय बाजारों में शैंपू, साबुन और तेल आदि हर्बल सामानों की बिक्री उन्हें खादी उत्पाद बताकर करनी शुरू की है। इसमें कहीं इसका उल्लेख नहीं है कि खादी का भारत से कोई लेना–देना है।

जबकि यह बात कम से कम भारतीय उपमहाद्वीप में हर कोई जानता है कि खादी आजादी आंदोलन के समय से ही भारतीय ट्रेडमार्क है। महात्मा गांधी ने खादी को एक आंदोलन के रूप में खड़ा किया था। पर चूंकि कभी खादी को एक भारतीय ट्रेडमार्क के रूप में दर्ज कराने या इस पर पेटेंट यानी बौद्धिक अधिकार हासिल करने की प्रक्रिया नहीं

की गई, लिहाजा जर्मनी की कंपनी इसका गलत फायदा उठा रही है। इस पर हमारी सरकार ने ऐतराज भी जताया है। सरकार के मुताबिक देश के खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग (केवीआईसी) को इस बात की शिकायत अमेरिका और यूरोपीय संघ में भी करने को कहा गया है। इसके लिए सरकार ने खादी के उल्लेख वाले महात्मा गांधी के दस्तखत समेत कई दस्तावेज जुटाए हैं।

गौरतलब है कि जर्मनी की उक्त कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर दावा किया है कि खादी यूरोप के बाजारों के लिए एक खास तरह का ब्रांड है और वहां इसके उत्पाद सिर्फ इसी कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अभी यह कंपनी खादी के नाम पर सिर्फ शैम्पू, तेल, साबुन और इसी तरह के हर्बल उत्पाद बेच रही है, लेकिन भविष्य में यह खादी कपड़े भी बनाना और बेचना शुरू कर सकती है। ऐसे में भारतीय खादी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

देखा जाए तो यह पहला मामला नहीं है जब भारतीय बौद्धिक सम्पदाओं पर डाका डालने यानी पेटेंट या ट्रेडमार्क चुराने की कोशिश की गई हो। इससे पहले विशुद्ध भारतीय मसालों–आयुर्वेदिक औषधियों जैसे हल्दी और नीम के पेटेंट में दखल का भारत सामना कर चुका है और इनसे संबंधित मुकदमों में भारत को

जीत मिली है।

नब्बे के दशक में अमेरिका की एक कंपनी ने हल्दी पर अपना दावा ठोंक दिया था। इसे बचाने में भारत को पांच साल लग गए और अमेरिकी वकीलों को फीस के रूप में करीब 12 लाख डॉलर का भुगतान करना पड़ा था। इसी तरह 1995 में अमेरिका की ही एक अन्य फर्म ने नीम पर अपना दावा जता दिया था। भारत को इसके अमेरिकी पेटेंट को रद्द कराने में 10 साल लग गए। इस पर 10 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च हो गए थे। इसी तरह का एक विवाद 1997 में भारतीय चावल की एक अहम किस्म बासमती का उठा था। टेक्सास स्थित अमेरिकी कंपनी राइसटेक को बासमती चावल पर पेटेंट दिए जाने के बाद भारत ने अपनी आपत्ति जताई थी। भारत ने वे तथ्य मुहैया कराए, जिनसे पता चलता था कि भारत में तकरीबन 10 लाख हेक्टेयर और पाकिस्तान में 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बासमती चावल की खेती होती है।

भारत कुछ अंशों में ही पेटेंट की यह जंग जीत पाया था, क्योंकि राइसटेक को दिए गए पेटेंट चावल की चुनिंदा किस्मों तक सीमित कर दिए गए थे। ऐसी कई मुश्किलें भारतीय योग के साथ भी पैदा हुई हैं। वर्ष 2002 में अमेरिका में भारतीय मूल के योग गुरु बिक्रम चौधरी ने हॉट योगा के नाम से 26 योग–आसन पद्धतियों अपने नाम पर पेटेंट कराया था। वर्ष 2005 तक यह जानकारी सामने आई कि अमेरिकी पेटेंट कार्यालय तब तक योगासनों से जुड़े उत्पादों पर 134 पेटेंट, योग संबंधी 150 पेटेंट और 2315 योग ट्रेडमार्क जारी कर चुका था।

इसी तरह ब्रिटेन में भी योग प्रशिक्षण से संबंधित 10 ट्रेडमार्क जारी किए जा चुके हैं। कायदे से तो योग के पेटेंट संबंधी जंग हम गंवा चुके हैं, क्योंकि खुद भारत की पारंपरिक ज्ञान संबंधी डिजिटल लाइब्रेरी (जो वर्ष 2002 में शुरू की गई थी) में दो लाख योग ट्रेडमार्क दर्ज करने के बाद यह उल्लेख किया गया है कि इनका इस्तेमाल मुफ्त है और इन्हें भविष्य में पृथक ट्रेडमार्क के रूप में दर्ज नहीं किया जा सकेगा। अब तकरीबन यही समस्या खादी के संबंध में पैदा हो रही है, क्योंकि हो सकता है कि दुनिया भर में खादी के अलग–अलग पेटेंट हासिल कर लिए जाने के बाद भारत में कह दिया जाए कि खादी तो पूरी दुनिया के लिए मुफ्त ट्रेडमार्क है।

कायदे से तो योग के पेटेंट संबंधी जंग हम गंवा चुके हैं, क्योंकि खुद भारत की पारंपरिक ज्ञान संबंधी डिजिटल लाइब्रेरी (जो वर्ष 2002 में शुरू की गई थी) में दो लाख योग ट्रेडमार्क दर्ज करने के बाद यह उल्लेख किया गया है कि इनका इस्तेमाल मुफ्त है और इन्हें भविष्य में पृथक ट्रेडमार्क के रूप में दर्ज नहीं किया जा सकेगा। अब तकरीबन यही समस्या खादी के संबंध में पैदा हो रही है, क्योंकि हो सकता है कि दुनिया भर में खादी के अलग–अलग पेटेंट हासिल कर लिए जाने के बाद भारत में कह दिया जाए कि खादी तो पूरी दुनिया के लिए मुफ्त ट्रेडमार्क है।

आने वाले वक्त में ट्रेडमार्क की उलझनें बढ़ते जाने के कारण भारत के लिए भारतीय चीजों पर भी अपना बौद्धिक अधिकार साबित करना कठिन हो सकता है। भारतीय खादी को भौगोलिक संकेतक (जियोग्राफिकल इंडिकेशन–जीई) स्टेटस दिलाने का मामला भी अभी फाइलों में ही उलझा हुआ है। भौगोलिक संकेतक का महत्व इससे समझा जा सकता है कि जिस तरह स्कॉच व्हिस्की की एक निश्चित भौगोलिक पहचान है, उसी तरह खादी को भी उसकी निश्चित पहचान यानी भारत के संबंध में दिलाई जा सके। यदि खादी को उसके पेटेंट के मार्फत हथियाने की विदेशी साजिशें सफल हो गई, तो भारत की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वैसे तो भारत कुछ विशिष्ट तरीकों से अपने सामानों के पेटेंट बचाने के प्रयास कर रहा है। खासतौर से, भारत ने ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) बनाकर अब तक करीब 200 मामलों में अपने अधिकार बचाने में सफलता पाई है। स्थापना के बाद से टीकेडीएल अब तक पुदीना, कमल, ब्राह्मी, अश्वगंधा, चाय की पत्ती, अदरक और दर्जनों भारतीय पेड़–पौधों और जड़ी–बूटियों पर विदेशियों के कब्जे को रोकने में कामयाब रही है।

इस व्यवस्था के तहत दुनिया के किसी भी पेटेंट ऑफिस में कोई भी आवेदन दाखिल होने पर इसका पता ऑनलाइन चल जाता है। अगर इसमें भारत के परंपरागत ज्ञान का प्रयोग हो रहा हो तो टीकेडीएल एक्शन ले सकती है। बहरहाल, भारतीय खादी समेत दूसरी चीजों और बौद्धिक संपदाओं का यूरोपीय– अमेरिकी कंपनियों द्वारा पेटेंट करवा लिए जाने पर भारतीय उत्पादों का यूरोपीय–अमेरिकी बाजारों में प्रवेश रुक सकता है और इनका व्यापार करने के लिए पेटेंटधारी कंपनी को हर साल रॉयल्टी देनी पड़ती है। इसलिए ऐसे मामलों में पर्याप्त सजगता बरतने की जरूरत है, अन्यथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इसी तरह भारतीय सम्पदाओं पर कब्जा जमाने का मौका मिलता रहेगा। ❑

समाचार परिक्रमा

अटल बिहारी वाजपेयी जी, मालवीय जी को भारत रत्न

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी एवं हिन्दू महासभा नेता महामना मदन मोहन मालवीय को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किए जाने की घोषणा हो चुकी है। भारत रत्न सम्मान घोषणा वाजपेयी जी के 90वें जन्मदिन और मालवीय के 153वीं जयंती से पूर्व की गई। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, 'राष्ट्रपति बेहद हर्ष के साथ पंडित मदन मोहन मालवीय (मरणोपरांत) और अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित करते हैं।' इस निर्णय के बाद भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वालों की संख्या 45 हो गई है। ❑

भारतीय कंपनियां देंगी 10 लाख नौकरियां

नौकरी बाजार के लिए वर्ष 2015 एक शानदार साल साबित होगा। विशेषज्ञों के अनुसार इस वर्ष भारतीय कंपनियों ने करीब 10 लाख नई नौकरियों का सृजन करने एवं सर्वोत्तम निष्पादन करने वाले कर्मचारियों की पगार 40 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना बनाई है। औसत वेतन वृद्धि भी 15 से 20 प्रतिशत के दायरे में रह सकती है, जबकि 2014 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों की तनख्वाह 10–12 प्रतिशत बढ़ाई गई थी। ई–कामर्स जैसे नए क्षेत्रों में वेतन वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक रहने की संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले दो साल के दौरान जीडीपी वृद्धि दर पांच प्रतिशत से नीचे रहने के बाद चालू वित्त वर्ष में इसके करीब 5.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। इससे नौकरी के बाजार में भी तेजी का रुख रहने की संभावना है। ❑

सेल की सबसे बड़ी उत्पादक इकाई बनेगा बोकारो संयंत्र

सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी सेल का बोकारो संयंत्र पूरा हो जाने के बाद कंपनी का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र बन जाएगा और वह भिलाई संयंत्र को पीछे छोड़ देगा। कंपनी डेढ़ लाख करोड़ रपए के निवेश से 2025 तक विस्तार कार्यक्रम का पहला चरण पूरा कर लेगी। देश की सबसे बड़ी इस्पात कंपनी के 'विजन 2025' के मुताबिक, कंपनी के पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों में बोकारो संयंत्र की सालाना क्षमता सबसे अधिक 1.41 करोड़ टन हॉट मेटल की होगी। ❑

2018 तक हर 10 में से 9 फोन होंगे स्मार्टफोन

शोध कंपनी गार्टनर की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्मार्टफोन की तेजी से बढ़ती बिक्री तथा बेसिक फोन को लेकर घटते रुझान को देखते हुए 2018 तक हर 10 में 9 फोन स्मार्टफोन होंगे। गार्टनर कंपनी का मानना है कि स्मार्टफोन की बिक्री 2014 में 1.2 अरब इकाई पहुंच जाएगी। गार्टनर की शोध निदेशक आर कोजा ने कहा कि बेसिक फोन की बिक्री 2014 की तीसरी तिमाही में 25 प्रतिशत घटी जबकि दूसरी तरफ स्मार्टफोन की बिक्री 20.3 प्रतिशत बढ़कर 30.1 करोड़ पहुंच गई। ❑

वर्ष 2014 रीयल एस्टेट के लिए अच्छा नहीं रहा

रीयल एस्टेट कंपनियों के लिए 2014 साल सुस्त रहा और महंगे कर्ज की वजह से मकानों की बिक्री में गिरावट आई। हालांकि डेवलपर नए साल में कर्ज सस्ता होने और अर्थव्यवस्था में सुधार आने की उम्मीद कर रहे हैं जिससे रीयल एस्टेट बाजार में फिर से तेजी आ सके। पिछले कुछ वर्षों से मांग में गिरावट का सामना कर रहे डेवलपरों को साल की दूसरी छमाही में नई सरकार बनने के साथ मांग में सुधार आने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ साथ ही त्योहारी सीजन में भी मकानों की मांग कमजोर रही। नई केन्द्र सरकार द्वारा कुछ सकरात्मक घोषणाएं भी की गईं जिनमें रीयल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट को मंजूरी, और 100 स्मार्ट शहर स्थापित करने की घोषणा भी शामिल थी। इन घोषणाओं का भी बाजार पर कोई असर नहीं दिखाई पड़ा। ❑

महंगाई पर नहीं हो रहा नियंत्रण

एक तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम गिर रहे हैं दूसरी तरफ सरकारी आंकड़े भी महंगाई कम बता रहे हैं। परन्तु आम आदमी के लिए रोजमर्रा की चीजें आज भी कम नहीं हुई है। आज सब्जियों के दाम इतने बढ़ गए हैं जिन्हें आम आदमी के लिए खरीद पाना मुश्किल हो चुका है। जैसे गोभी 40 रुपए, मटर 30 रुपए, टमाटर 30 रुपए, शिमला मिर्च 40 रुपए, प्याज 30 रुपए, बन्दगोभी 40 रुपए इत्यादि। दाल तो पहले ही गरीब की थाली से गायब हो गई है। अब कब मिलेगी आम आदमी को महंगाई से मुक्ति इस बारे में केन्द्र और राज्य सरकारें कोई जवाब नहीं दे रही हैं। ❑

बैंकिंग क्षेत्र में सुस्ती गहराई

सरकार तथा रिजर्व बैंक (आरबीआई) के तमाम सुधार प्रयासों के बावजूद बैंकिंग क्षेत्र में सुस्ती पहले की तुलना में गहरा गई है। यह जोखिम चालू वित्त वर्ष में भी बरकरार है। रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2014–15 की पहली छमाही में भी बैंकिंग क्षेत्र में कुल मिलाकर जोखिम की स्थिति में बदलाव नहीं आया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकों का मुनाफा बढ़ा है लेकिन इसकी रफ्तार काफी कम है। रिपोर्ट में उम्मीद जताई गयी है कि निकट भविष्य में अर्थव्यवस्था में व्यापक स्तर पर सुधार की उम्मीद से बैंकिंग क्षेत्र पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा और बैंक अपनी दम पर संभावित नुकसान की भरपाई करने में सक्षम होंगे। साथ ही इस बात की चेतावनी भी दी गई है कि यदि अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधरने के बदले बिगड़ती है तो अधिसूचित व्यावसायिक बैंकों की परिसंपत्ति की गुणवत्ता खराब भी हो सकती है। ❑

स्विट्जरलैंड से भारी मात्रा में आ रहा देश में सोना

एक तरफ देश में कालाधन के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है तो दूसरी तरफ सराफा व्यापार के जरिए कालाधन को ठिकाने लगाने को लेकर चिंताओं के बीच स्विट्जरलैंड से भारत को सोने का निर्यात बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2014 के दौरान यह 1000 अरब रुपए के स्तर पर पहुंचने के करीब है।

स्विस कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन के आंकड़ों के अनुमार बीते वर्ष अक्टूबर में माह में स्विट्जरलैंड से भारत को सोने का निर्यात 2.8 अरब स्विस फ्रैंक्स यानि 18,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा जो इससे पिछले माह की तुलना में करीब 2.2 अरब स्विस फ्रैंक्स ज्यादा है। वित्तीय खुफिया एंजेंसियों भी इस बात को लेकर काफी चिंतित है। उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी ने हालांकि कालाधन से संबद्ध अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि अन्य देशों के आयात–निर्यात आंकड़ों के साथ वास्तविक आयात निर्यात आंकड़ों का मिलान करने की एक व्यवस्था करने की जरूरत है। ❑

ग्रामीण परिवार औसतन 10 लाख के मालिक

सरकारी सर्वे के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों के पास औसतन 10 लाख रुपए से अधिक की परिसंपत्ति है। यह शहरों में परिवारों की संपत्ति के मुकाबले आधे से कम है। दूसरी ओर गांवों में 98 प्रतिशत परिवारों के पास कुछ न कुछ भौतिक तथा वित्तीय परिसंपत्ति है जो शहरी इलाकों में 94 प्रतिशत से अधिक है। राष्ट्रीय नमूना सर्वे के 70वें दौर के अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वे में कहा गया है, '30 जून 2012 की स्थिति के अनुसार देश में 98 प्रतिशत ग्रामीण परिवार तथा 94 प्रतिशत शहरी परिवार के पास कुछ न कुछ भौतिक और वित्तीय संपत्ति है। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों के पास संपत्ति का औसत मूल्य 10.07 लाख रपए है वहीं शहरी क्षेत्रों में यह 22.85 लाख है।' सव्रे के अनुसार 30 जून, 2012 तक करीब 31 प्रतिशत ग्रामीण परिवार तथा 22 प्रतिशत शहरी परिवार के ऊपर कर्ज (नकद ऋण) था। ❑

देश के दस करोड़ आधार कार्ड बैंक खातों से जुड़े

भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के अनुसार अब तक 10 करोड़ आधार संख्याओं को बैंक खातों से जोड़ा जा चुका है जिससे ये खाताधारक सरकारी योजनाओं के तहत सब्सिडी एवं अन्य लाभ उठा सकेंगे। यूआईडीएआई के अनुसार 'केन्द्र सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन में एक कीर्तिमान स्थापित हो चुका है। दस करोड़ आधार संख्या को बैंक खातों से जोड़ना जिससे सभी लोग सरकारी सब्सिडी एवं अन्य भुगतान सीधे अपने बैंक खातों में प्राप्त कर सकेंगे।' प्राधिकरण ने कहा कि आधार संख्या और एक बैंक खाते के बीच संबंध स्थापित होने से सरकार के लिए सही लाभार्थियों की पहचान करना और सीधे उनके बैंक खाते में सब्सिडी व अन्य लाभों का भुगतान करना आसान होगा। ❑

'मेक इन इंडिया' में पांच और क्षेत्र शामिल होंगे

केन्द्र सरकार रत्न एवं आभूषण जैसे पांच और क्षेत्रों को शामिल कर 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के दायरे में ला रही है। जिसका लक्ष्य है विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि का बढ़ावा देना। फिलहाल सरकार ने फार्मा, वाहन, कपड़ा, विमानन, खनन, रसायन और अन्य समेत 25 ऐसे की पहचान की है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अपने संबंधित क्षेत्रों में देश को अग्रणी स्थिति में लाने की क्षमता है। इसके लिए डीआईपीपी ने देश में कारोबार करने की प्रक्रिया आसान बनाने और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। ❑

व्यापार के लिए शीर्ष देशों में भारत का 93वां स्थान

भारत वर्ष 2014 व्यापार के लिए सर्वश्रेष्ठ देशों की फोर्ब्स की सूची में काफी पीछे रह गया है। 146 देशों की सूची में भारत का स्थान 93वें है। जबकि इसी सूची में मैक्सिको, कजाखस्तान और श्रीलंका जैसे छोटे देश भी भारत से आगे हैं। फोर्ब्स के मुताबिक भारत को गरीबी व भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियों से निपटना चाहिए। फोर्ब्स की नौवीं सालाना सूची में डेनमार्क पहले स्थान पर है। फिर हांगकांग, न्यूजीलैंड, आयरलैंड व स्वीडन का स्थान है जबकि व्यापार के माहौल के मामले में अमेरिका कई विकसित राष्ट्रों से पीछे है। फोर्ब्स के अनुसार वर्ष 2013 में भारत की वृद्धि दर दशक भर के निचले स्तर पर चली गई और उसके आर्थिक नेता देश की बढ़ते राजकोषीय व चालू खाते के घाटे पर अंकुश के लिए संघर्ष करते रहे। हालांकि 2014 की शुरुआत में भारत को लेकर निवेशकों की धारणा में सुधार हुआ। ❑

विनिर्माण क्षेत्र ने दिखाया दम

भारत के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर दिसम्बर के दौरान दो साल के उच्चतम स्तर पर रहा। वर्ष 2014 देश–विदेश के मिले आर्डर में जोरदार बढ़ोतरी के साथ समाप्त हुआ। यह बात एचएसबीसी के सर्वेक्षण में कही गई है। इन आंकड़ों से भारतीय अर्थव्यवस्था में अच्छे सुधार की उम्मीद जगी है। एचएसबीसी इंडिया का खरीद प्रबंधक सूचकांक दिसम्बर में 54.5 पर रहा जो पिछले महीने दर्ज 53.3 के स्तर से ऊपर है। ❑

जल संरक्षण

देश की आबादी कुल वैश्विक आबादी का 18 प्रतिशत से अधिक है लेकिन इसके पास नवीकरणीय जल स्रोतों का केवल चार प्रतिशत हिस्सा है। ऐसे में इस दुर्लभ प्राकृतिक स्रोत की सामुदायिक हिस्सेदारी और वैकल्पिक स्रोत के जरिये सुरक्षा की जा सकती है। जल का उपयोग करने वाली एसोसिएशन (डब्ल्यूयूए) और स्थानीय निकायों ग्राम पंचायत, नगरपालिकाओं को जल के आधारभूत ढांचे 'सुविधाओं के प्रबंधन, रखरखाव और ऑपरेशन के स्तर पर जोड़ने की जरूरत है ताकि भविष्य में इनका पूरी तरह से हस्तांतरण सामुदायिक संगठनों' स्थानीय निकायों को किया जा सके। जल और भूमि स्रोतों के प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर कुल सामुदायिक भागीदारी के लिए वर्तमान में 6.7 लाख ऐसे संगठनों की जरूरत है। 2020 तक ऐसे 7.1 लाख सामुदायिक संगठनों की जरूरत होगी। ❑

जमशेदजी टाटा के सम्मान में सिक्का जारी

जमशेदजी टाटा की 175वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके सम्मान में सिक्का जारी किया। और उन्होंने कहा कि जमशेदजी आधुनिक भारतीय उद्योग के जनक हैं, 'जिन्होंने बिना सत्ता अथवा ताकत के ही इतिहास बनाया वे सचमुच में महान थे।' मोदी ने जमशेदजी के पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा के दृष्टिकोण तथा टाटा समूह से जुड़े लोगों के कल्याण के लिए उनकी पहलों की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्योगपतियों द्वारा बड़ी मात्रा में धन कल्याणकारी योजनाओं में लगाने की संस्कृति पश्चिमी दुनिया के लिए नई है लेकिन जमशेदजी टाटा यह बहुत पहले ही यह कर चुके हैं। ❑

अमरीकी कंपनियों को निवेश के लिए भारत पसंद

नियंत्रण वित्तीय सेवा कंपनी सिटीग्रुप की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीकी कंपनियों को निवेश के लिए भारत पसंदीदा जगह है।

सिटीग्रुप के अर्थशास्त्रियों के अनुसार कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट व रूसी मुद्रा में कमजोरी के प्रतिकूल असर से भारत न केवल पूरी तरह बचा हुआ है, बल्कि एक सीमा तक फायदे में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत कच्चे तेल का शुद्ध आयातक है, उसका वृहद आर्थिक आधार मजबूत हुआ है, तथा साथ ही विदेशी मुद्रा का भंडार भी बढ़ रहा है। रिपोर्ट में सिटीग्रुप ने कहा कि तीन कारणों कारोबार अनुकूल मोदी सरकार, रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन तथा जिंसों के मोर्चे पर अनुकूल स्थिति की वजह से भारत सभी का पसंदीदा निवेश गंतव्य बना हुआ है। ❑

वालमार्ट आगरा में एक और शॉप खोलेगी

अमेरिका की प्रमुख खुदरा कंपनी वालमार्ट ने भारत पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए दो साल के अंतराल के बाद आगरा में कैश एंड कैरी (थोक कारोबार) संबंधी एक और दुकान खोलेगी। कंपनी ने पिछली बार 2012 के अंत में भोपाल में अपनी दुकान खोली थी। वालमार्ट के अनुसार वह बहुब्रांड खुदरा कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर स्पष्टता के अभाव में भारत में थोक कारोबार पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह सब केन्द्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण बहुराष्ट्रीय वालमार्ट कंपनी को बढ़ावा मिल रहा है।❑

रपट

स्वदेशी भाव से ही देश की उन्नति हो सकती है एवं राष्ट्र चेतना व राष्ट्रभक्ति का विकास हो सकता है : देवेन्द्र श्रीमाली

बीते माह 12 दिसम्बर 2014, स्वदेशी जागरण मंच, उदयपुर महानगर के तत्वाधान में शहीद बाबूगेनू बलिदान दिवस के अवसर पर एक विचार गोष्ठी एवं श्रद्वाजंली सभा का आयोजन विद्यानिकेतन विद्यालय सेक्टर–4 उदयपुर में किया गया इस अवसर पर वक्ता डॉ सतीश आचार्या ने कहा की पूंजिवादी एवं साम्यवादी व्यवस्थाओ की विफलताओ के बाद आज पं. दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानव दर्शन ही विकास का प्रतिमान एवं मार्ग दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति एकांगी भाव न रखकर सर्वदेशी समावेशी भाव जाग्रत करती है। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री रमन सूद ने बाबू गूने के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा की उनका बचपन विपन्नता में बीता फिर भी उनमें राष्ट्रभक्ति की कोई कमी नही थी । विदेशी माल का विरोध करते हुए अपना बलिदान दे दिया। उन्होने देशवासियो का आह्वान किया कि आज से ही स्वदेशी वस्तुऐं अपनाने का संकल्प ले ।

विचार मण्डल प्रमख डॉ देवेन्द्र श्रीमाली ने स्वदेशी की अवधारणा पर बालते हुए कहा की स्वदेशी भाव से ही देश की उन्नति हो सकती है एवं राष्ट्र चेतना व राष्ट्रभक्ति का विकास हो सकता है। सभा की अध्यक्षता करते हुए भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अमरसिंह सांखला ने कहा की बाबू गूने एक श्रमिक होते हुए भी राष्ट्रहित की भावना से ओतप्रोत थे उनसे प्रेरणा लेकर स्वदेशी वस्तुओं को ही अपनाना बाबू गेनू को सच्ची श्रद्वाजंली होगी। प्रदेश विचार मण्डल प्रमुख जयसिंह शक्तावत ने स्वदेशी जागरण मंच उदयपुर के विभिन्न दायित्वों सौपें जिसमें महेश सोनी को प्रचार प्रमुख, डॉ मनोज बहरवाल एवं सोहन लाल शर्मा को महानगर सहसंयोजक का दायित्व सौपा गया। विचार मण्डल प्रमुख जतिन श्रीमाली ने सभी संभगियो का धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया। कार्यक्रम के अन्त मे सभी संभगियो ने अमर शहीद बाबू गूने को पुष्पांजलि अर्पित की। ❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740 IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram) में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22